# शिक्षा विभाग हरियाणा

की

## वर्ष 1979-80

की

# वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

प्रकाशक

निदेशक, शिक्षा विभाग, हरियाणा

# विषय विवर्णिका


| अध्याय | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| | रिपोर्ट की समीक्षा | 1–8 |
| | समालोचना | 9 |
| 1. | सामान्य सार | 11–16 |
| 2. | शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन | 17–20 |
| 3. | विद्यालय शिक्षा | 21–28 |
| 4. | महाविद्यालय शिक्षा | 29–31 |
| 5. | शिक्षक प्रशिक्षण | 32–33 |
| 6. | प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा | 34–39 |
| 7. | महिला शिक्षा | 40–43 |
| 8. | शिक्षा सुधार कार्यक्रम | 44–47 |
| 9. | छात्रों के लिए छात्रवतियां तथा अन्य वित्तीय सहायता | 48–52 |
| 10. | विविध | 53–59 |
| 11. | परिशिष्ठ 'क' | 60–61 |
| 12. | परिशिष्ठ 'ख' | 62–63 |
| 13. | परिशिष्ठ 'ग' | 64–65 |

# "शिक्षा विभाग हरियाणा की वर्ष 1979-80 की प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा"

वर्ष 1979-80 में शिक्षा विभाग पिछले वर्षों की भांति राज्य में शिक्षा के विकास कार्य सामान्य रूप से कार्य करता रहा है। शिक्षा के विकास में राजकीय शिक्षा संस्थाओं के अतिरिक्त अराजकीय विद्यालयों तथा महा विद्यालयों ने भी शिक्षा के विकास में आवश्यक योगदान दिया है। राज्य में दो सम्बन्ध विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र तथा महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक है। शिक्षा विभाग सामान्यतः शिक्षा के विभिन्न स्तरों सम्बन्धित विकास योजनाएं बनाने उनसे सम्बन्धित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने तथा उनके उचित समन्वय का कार्य करता है ।

इस अवधि में राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सन्तोषजनक प्रगति हुई । शिक्षा के स्तर को समुन्नत करने सम्बन्धी कार्यक्रमों पर भी विशेष बल दिया गया। इस विभाग की गतिविधियों को मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

(क) शिक्षा का विकास योजनाओं का बनाना तथा उनको अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों की सहायता से कार्यान्वित करना ।

(ख) भिन्न-2 वर्ग के शिक्षकों आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करने के लिए भिन्न-2 स्तर के अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधाओं का प्रबन्ध करना ।

(ग) विश्वविद्यालयों, अराजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों की पात्रता परखने के पश्चात् अनुदान की राशि स्वीकृत करना ।

(घ) सुपात्र एवं योग्य विद्यार्थियों एवं अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां, वजीफों एवं फीसों की प्रतिपूर्ति करना ।

(ङ) पाठ्य पुस्तकें तथा अभ्यास पस्तिकाओं का उपलब्ध करना ।

(च) अन्य कार्यक्रम ।

(क) शिक्षा का विकास, योजनाओं का बनाना तथा उनको अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों की सहायता से कार्यान्वित करना ।

(1) बजट--रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा विभाग का कुल बजट संशोधित अनुमान 4884.92 लाख रुपए था जिसमें योजनेतर पर 4558.08 लाख रुपए और योजना स्तर पर 326.84 लाख रुपए था ।

2. स्कूलों का खोलना और स्तर का बढ़ना :—

इस अवधि में सरकार ने 189 प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर माध्यमिक तथा 156 माध्यमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ा कर उच्च किया ।

3. छात्र संख्या--

स्कूल शिक्षा के भिन्न-2 स्तरों पर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या वर्ष 1979–80 में 17.50 लाख थी । जिस में से लड़के 12.22 लाख और लड़कियां 5.28 लाख थीं । उनमें प्री-प्राईमरी/प्राईमरी स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 11.67 लाख, माध्यमिक स्तर पर 4.30 लाख तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक संख्या 1.52 लाख रही । पिछले वर्षों की अपेक्षा रिपोर्टाधीन वर्ष में स्कूल शिक्षा के हर स्तर पर छात्र संख्या में वृद्धि हुई है । उच्च शिक्षा स्तर पर 82415 छात्रों ने राज्य के भिन्न-2 उच्च शिक्षा के संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त की ।

4. अध्यापक—

शिक्षा के विकास के साथ-साथ भिन्न-भिन्न संस्थाओं में शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है । रिपोर्टाधीन अवधि में भिन्न-भिन्न वर्गों के स्कूलों में 30-9-79 को 54612 अध्यापक थे । उच्च शिक्षा संस्थाओं में (महाविद्यालयों/विश्व विद्यालयों) शिक्षकों की संख्या 3373 थी । पिछले वर्ष की तुलना में शिक्षकों की संख्या भी विशेषतया स्कूल स्तर की संस्थाओं में बढ़ी है ।

5. प्राथमिक शिक्षा का विकास—

राज्य में 6–11 आयु वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षित करने के लिए विशेष

पग उठाये गए । जिनमें प्राथमिक स्तरीय ड्राप–आउटस के लिए रिपोर्ट अधीन अवधि में 3345 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्वीकृत किए गए जिनमें 70166 बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा देकर साक्षार बनाया गया।

6. उच्च शिक्षा का विकास—

इस अवधि में राज्य में महाविद्यालयों की संख्या 117 रही जिनमें 19 शिक्षा महाविद्यालय और 98 महाविद्यालय सामान्य शिक्षा के थे। राज्य सरकार द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों की संख्या 16 थी। रिपोर्टाधीन अवधि में सरकार ने 10 अराजकीय महाविद्यालयों को अपने अधीन लिया तथा राजकीय महाविद्यालय सिरसा में मनोविज्ञान, मैडीकल, भूगोल, इतिहास तथा संस्कृत के विषय आरम्भ किए।

वर्ष 1979-80 में राज्य में 82415 छात्रों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की जिनमें से 19677 ने राजकीय महाविद्यालय में, 58698 ने अराजकीय महाविद्यालयों में तथा 4040 ने विश्वविद्यालय के टीचिंग विभागों द्वारा शिक्षा प्राप्त की।

7. भवनों की मुरम्मत/निर्माण—

रिपोर्टाधीन अवधि में राजकीय महाविद्यालय हिसार के गर्ल्ज होस्टल के लिए 12.05 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

स्कूल स्तर की शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए शिक्षा विभाग ने भवन निर्माण के लिए बजट में 45 लाख रुपए की व्यवस्था की है तथा इतनी ही राशि मैंचिंग ग्रान्ट के रूप में स्कूल भवन फन्ड में से ही दी जाएगी। विभाग द्वारा स्कूलों के 190 कक्ष बनाने के लिए 78.55 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई।

8. प्रौढ़ शिक्षा —

वर्ष 1979–80 में राज्य में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया गया। इस अवधि में 3302 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में 72693 प्रौढ़ों को साक्षरता प्रदान की गई। जिन में से महिलाओं की संख्या 39814 है

(ख) भिन्न वर्ग के शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करने के लिए भिन्न-भिन्न स्तर के अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधाओं का प्रबन्ध करना।

रिपोर्टाधीन वर्ष में डिप्लोमा इन एजूकेशन की कक्षाओं का दाखिला सरकार द्वारा पिछले वर्ष की भान्ति बन्द रहा, क्योंकि प्राईमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए पहले ही काफी अध्यापक बेरोजगार थे। रिपोर्टाधीन अवधि में हिन्दी तथा संस्कृत ओ0 टी की कक्षाएं राजकीय शिक्षण महाविद्यालय, भिवानी में खोली गई। इसके अतिरिक्त ओ0 टी0 पंजाबी की कक्षा रा० जे० बी० टी० स्कूल नारायणगढ़ में आरम्भ की गई ताकि आवश्यकतानुसार इन विषयों के अध्यापक विभाग को उपलब्ध हो सकें। अध्यापकों की व्यवसायिक दक्षता को बढ़ाने तथा स्कूलों में शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए रिपोर्टाधीन अवधि में 4100 प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों और 1200 सैकेण्डरी अध्यापकों को भिन्न-2 विषयों में सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए जे0 बी0 टी0 अध्यापकों/खण्ड शिक्षा अधिकारियों को भी विज्ञान शिक्षा संस्थान द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया।

(ग) विश्वविद्यालयों, अराजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों की पात्रता परखने के पश्चात अनुदान की राशि स्वीकृत करना :

रिपोर्टाधीन अवधि में विश्वविद्यालयों अराजकीय महाविद्यालयों/विद्यालयों में शिक्षा के कार्य को सुचारू रुप से चलाने तथा शिक्षा के विकास कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित अनुदान (विकास एवं संरक्षण अनुदान) दिए गए :—

| | |
|---|---|
| कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र | 135.24 लाख रुपए |
| महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक | 285.00 लाख रुपए |
| अराजकीय महाविद्यालय | 183.47 लाख रुपए |
| अराजकीय विद्यालय | 19.16 लाख रुपए |

अराजकीय महाविद्यालयों को उनके घाटे को 75 प्रतिशत अनुदान के रूप में राशि देकर पूरा किया जाता है। इसी तरह अराजकीय विद्यालयों को

उनके घाटे को, 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में राशि देकर पूरा किया जाता है। इसके अतिरिक्त रिपोर्टाधीन अवधि में अराजकीय विद्यालयों को कोठारी ग्रांट स्कीम के अन्तर्गत 59.25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई।

(घ) सुपात्र एवं योग्य विद्यार्थियों एवं अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां, वजीफों एवं फीसों की प्रतिपूर्ति करना--

रिपोर्टाधीन अवधि में विद्यालयों/महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को भिन्न-भिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां भिन्न-2 स्कीमों के अन्तर्गत दी गई।

1. भारत सरकार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत महाविद्यालयों में पढ़ने वाले 1469 योग्य छात्रों को 11.10 लाख रू0 की राशि वितरित की गई।

2. 626 योग्य हरियाणवी छात्रों को मैट्रिक उपरान्त संस्थाओं में पढ़ने वालों के लिए 323 लाख रू0 की राशि की छात्रवृत्तियां राज्य सरकार द्वारा दी गई।

3. सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले 609 हरियाणवी छात्रों को 20.89 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई।

4. भारत सरकार की राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 300 छात्रों को 2.41 लाख रुपये की ऋण छात्रवृत्तियां दी गई।

5. उच्च/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले 668 छात्रों को 15/- रु0 मासिक की दर से तथा माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले 2314 छात्रों को 10/- रु0 मासिक की दर से योग्यता छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था की गई।

6. उपरोक्त छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त राज्य हरिजन कल्याण योजना के अन्तर्गत स्कूल स्तर पर अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के बच्चों को नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षा में 16/- रु0 प्रति मास की दर से वजीफे/छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। महाविद्यालय स्तर पर पिछड़े वर्ग के छात्रों को भिन्न-2 कक्षाओं/कोर्सों में 30/- रु0 से 70/- रु0 मासिक दर से छात्रवृत्तियां तथा वजीफे दिए गए। इन वजीफों के लिए 97.54 लाख रु0 की व्यवस्था की गई।

मैट्रिक उपरांत कक्षाओं में अनुसूचित जातियों के छात्रों को भिन्न-2 कक्षाओं/कोर्सों के लिए 40/- रु0 की दर से 200/- रु0 की दर तक प्रति मास वजीफे इत्यादि भी दिए गए । यह वजीफे/छात्रवृत्तियां विद्यार्थियों को उनके संरक्षकों की आय के आधार पर दी जाती हैं । रिपोर्टाधीन अवधि में 39.11 लाख रु0 की व्यवस्था की गई । अस्वच्छ व्यवसाय में लगे गैर अनुसूचित जातियों के प्रत्येक छात्र को मट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति दी गई ।

संस्कृत/तिलगू भाषा पढ़ने वाले योग्य छात्रों को प्रोत्साहन देने हेतू 10/- रु0 प्रति मास की दर से छात्रवृत्तियां प्रदान की गई ।

(ड) पाठ्य पुस्तकों तथा अभ्यास पुस्तिकाओं का उपलब्ध करना ।

पिछले वर्षों की भान्ति रिपोर्टाधीन अवधि में विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें तथा अभ्यास पुस्तिकाओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध करने हेतू विशेष पग उठाए गए । वर्ष 1979-80 में अनुसूचित जातियों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को ऋण के आधार पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करने हेतू सरकार से 20.50 लाख रुपये की राशि की लघु पुस्तकें स्थापित बुक बैंकस को सुदृढ़ करने के लिए खरीदी गई तथा 3 लाख रुपए की लेखन सामग्री अनुसूचित जाति के लड़कों तथा सभी वर्ग की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली लड़कियों को निःशुल्क वितरित की गई।

(च) अन्य कार्यक्रम

केयर फीडिंग प्रोग्राम

माध्यान्ह भोजन का लाभ रिपोर्टाधीन अवधि में 4.23 लाख बच्चों को उपलब्ध किया गया । इस कार्यक्रम पर शिक्षा विभाग ने 33.49 लाख रु0 केयर संगठन के प्रशासकीय तथा परिवहन खर्च के रूप में दी । घरौंडा में स्थापित केन्द्रीय किचन द्वारा एक लाख बच्चों के लिए प्रति दिन पंजीरी तैयार करके स्कूलों में बाँटने के लिए भेजी गई ।

2. अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष—

रिपोर्टाधीन अवधि में विपदाग्रस्त अध्यापकों तथा उनके आश्रितों को

भिन्न भिन्न प्रकार की सहायता के रूप में इस कोष से 2.10 लाख रूपए की राशि वितरित की गई ।

3. खेल कूद एवं क्रियात्मक कार्यक्रमों में उपलब्धियां—

अंतर राजकीय शीतकालीन प्रतियोगिताओं में राज्य के छात्र/छात्राओं में स्वर्ण पदक 3, रजत पदक 7 तथा कांस्य पदक 4 प्राप्त किए । अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के सम्मुख रखते हुए रिपोर्टाधीन अवधि में मिनी नैशनल गेम्ज़ में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया ।

4. एन0एस0एस0 स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण जनता के उत्थान हेतु 110 शिविर लगाए गए जिनमें 6000 छात्रों ने भाग लिया ।

5. हरिजन छात्रों के लिए विशेष सुविधा—

(क) 26233 छात्राओं को 30/- रु0 प्रति छात्र की दर से मुफ्त वर्दियां देने के लिए 7.87 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई ।

(ख) 12000 छात्राओं के लिए 50 रु0 प्रति छात्र की दर से उपस्थिति छात्रवृति के लिए 6 लाख रु0 की राशि प्रदान की गई ।

6. कक्षा शिक्षा नीति तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार—

सामान्यता ऐसा होता है कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी पढ़ाई मे तीव्र होते हैं तथा कुछ मन्द होते हैं । अतः विभाग ने यह अनुमति दी है कि यदि कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक हो तो कक्षा में अलग-2 सैक्शन बना लें तथा उन सैक्शनों को इस तरह बनाये कि तीव्र बुद्धि के बच्चे एक सैक्शन में आ जाएं तथा मंद बुद्धि के बच्चे दूसरे सैक्शन में आ जाएं और जिस शिक्षक के पास मंद बुद्धि वाले बच्चे हो उसके परीक्षा परिणाम को देखते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि वह कमजोर सैक्शन पढ़ा था ।

पहली से चौथी कक्षा में पढ़ने बच्चों के लिए यह परीक्षा नीति अपनाई है कि पहली तथा दूसरी कक्षा में कोई बच्चा फेल न किया जाए तथा तीसरी तथा चौथी की कक्षाओं में परीक्षा के परिणाम अनुसार कार्यवाही की जाए ।

रिपोर्टाधीन अवधि में स्वामी अग्निवेश शिक्षा मन्त्री के पद पर रहे तथा इसके पश्चात् मुख्यमन्त्री श्री भजन लाल ने शिक्षा विभाग अपने अधीन लिया।

रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षायुक्त एवं सचिव के पद पर श्री जे0 डी0 गुप्ता, आई0ए0एस ने कार्य किया। संयुक्त सचिव के पद पर श्री मति सुशील डोगरा ने कार्य किया तथा निदेशक के पद पर श्री मति प्रोमिला ईस्सर आई0ए0एस0 ने कार्य किया।

# प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 1979-80 पर समालोचना

रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य के शिक्षा क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति हुई है। प्राईमरी, मिडल तथा उच्च/उच्चतर स्तर पर छात्रों की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। शिक्षा की सुविधाओं में और विस्तार करने के लिये 189 प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर माध्यमिक तथा 156 माध्यमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर उच्च किया गया है। माध्यान्ह भोजन का लाभ 4.23 लाख बच्चों को उपलब्ध किया गया।

अध्यापकों की व्यवसायिक दक्षता को बढ़ाने तथा स्कूलों में शिक्षा स्तर को उन्नत करने के लिये 4100 प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों और 1200 सैकेण्डरी अध्यापकों को भिन्न-भिन्न विषयों में सेवा कालीन प्रशिक्षण दिया गया।

भवनों की मुरम्मत/निर्माण के लिये बजट में 45 लाख रुपये की व्यवस्था की है तथा इतनी ही राशि 'मैचिंग ग्रांट' के रूप में स्कूल फण्ड में से दी जायेगी। विभाग द्वारा स्कूलों के 190 कक्ष बनाने के लिये 78.55 लाख रूपये की राशि स्वीकृति की गई।

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में भी संतोषजनक प्रगति हुई। खेलों के क्षेत्र में भी अन्तर राजकीय प्रतियोगिताओं में राज्य के छात्र/छात्राओं द्वारा भिन्न-भिन्न प्रतियोगिताओं में स्वर्णपदक 3, रजत पदक 7, तथा कांस्य पदक 4 प्राप्त किये।

# अध्याय–एक

## सामान्य सार

1.1 प्रस्तुत शिक्षा विभाग की प्रशासकीय रिपोर्ट वर्ष 1979-80 की शिक्षा गतिविधियों से सम्बन्धित है ।

1.2 सितम्बर 1979 में हरियाणा में स्थित भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्न प्रकार रही :

| संस्था का प्रकार | संस्था की संख्या | छात्रों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | लड़के | लड़कियों | जोड़ |
| पूर्व प्राथमिक पाठशालायें | 26 | 672 | 543 | 1215 |
| प्राथमिक पाठशालायें | 5218 | 446570 | 228302 | 674872 |
| माध्यमिक पाठशालायें | 829 | 212579 | 91994 | 304573 |
| उच्च/उच्चस्तर माध्यमिक पाठशालायें । | 1339 | 561846 | 208885 | 770731 |
| शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय | 1 | 84 | 10 | 94 |
| महाविद्यालय | 117 | 53752 | 24623 | 78375 |
| विश्वविद्यालय | 2 | 2991 | 1094 | 4048 |

**स्तर अनुसार छात्र संख्या**

1.3 राज्य में सितम्बर 1979 में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार रही थी।

| शिक्षा का स्तर | छात्रों की संख्या | | |
|---|---|---|---|
| स्कूल स्तर | लड़के | लड़कियों | जोड़ |
| प्राथमिक स्तर (पहली से पांचवीं) | 7,84,282 | 3,82,333 | 11,66,615 |
| माध्यमिक स्तर (छटी से आठवीं) | 3,19,960 | 1,10,378 | 4,30,338 |
| उच्च\उच्चतर माध्यमिक (नौवीं से ग्यारहवीं) | 1,17,420 | 35,176 | 1,52,596 |
| कल संख्या | 12,21,662 | 5,27,887 | 17,49,549 |
| **उच्च शिक्षा स्तर** | | | |
| प्री-युनिवर्सिर्टी | 18851 | 6001 | 24,852 |
| तीन वर्षीय डिग्री कोर्स | 31516 | 13514 | 45030 |
| एम0 ए0/एम एस सी/एमकाम | 2478 | 1390 | 3868 |
| बी0 एड0/एम0एड | 1261 | 2280 | 3541 |
| पी. एच डी/एम फिल | 390 | 205 | 595 |
| अन्य | 2247 | 2282 | 4529 |
| जोड़ | 56743 | 25672 | 82415 |

**शिक्षकों की संख्या**

1.4 हरियाणा राज्य में कार्य करने वाले शिक्षकों की कुल संख्या स्कूल अनुसार इस प्रकार रही ।

| (क) स्कूल स्तर | पुरुष | महिला | जोड़ |
|---|---|---|---|
| प्री-प्राईमरी स्कूल | 9 | 44 | 53 |
| प्राथमिक स्कूल | 11502 | 5370 | 16872 |
| माध्यमिक स्कूल | 6625 | 2919 | 9544 |
| उच्च/उच्चत्तर माध्यमिक स्कूल | 19541 | 8602 | 28143 |
| जोड़ | 37677 | 16935 | 54612 |

इन अध्यापकों में से 4957 अध्यापक अराजकीय विद्यालयों में कार्य करते हैं ।

| (ख) उच्च शिक्षा स्तर | पुरुष | महिला | जोड़ |
|---|---|---|---|
| राजकीय महाविद्यालय | 715 | 212 | 927 |
| अराजकीय महाविद्यालय | 1562 | 537 | 2099 |
| शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय | 2 | 2 | 4 |
| विश्वविद्यालय | 312 | 31 | 343 |
| जोड़ | 2591 | 782 | 3373 |

**शिक्षा का व्यय**

1.5 शिक्षा विभाग का वर्ष 1979-80 का बजट (संशोधित अनुमान अनुसार) इस प्रकार था।

(क) प्रत्यक्ष व्यय (राशि लाखों रुपयों में)

| मद | योजनेतर | योजना | कुल |
|---|---|---|---|
| उच्च शिक्षा | | | |
| कालेज शिक्षा | 545.25 | 28.20 | 573.45 |
| माध्यमिक | 1887.62 | 89.73 | 1977.35 |
| प्राथमिक | 1865.05 | 126.63 | 1991.68 |
| विशेष शिक्षा (स्पैशल) | 21.38 | 45.42 | 66.80 |
| एन0 सी0 सी0 | 61.54 | 27.02 | 88.56 |
| विविध | 24.37 | 2.50 | 26.87 |
| जोड़ | 4405.21 | 319.50 | 4724.71 |
| (ख) परोक्ष व्यय | | | |
| 1. निर्देशन | 43.54 | 3.74 | 47.28 |
| 2. इंसपैक्शन | 109.33 | 3.60 | 112.93 |
| जोड़ | 152.87 | 7,34 | 160.21 |
| जोड़ प्रत्यक्ष तथा परोक्ष | 4558.08 | 326.84 | 4884.92 |

## महाविद्यालय शिक्षा

1.6 इस वर्ष कोई नया राजकीय महाविद्यालय नहीं खोला गया। परन्तु सरकार द्वारा 10 अराजकीय महाविद्यालयों को अपने नियन्त्रण में लिया गया।

## जिला स्तर पर प्रशासन

1.7 राज्य के सभी 12 जिलों में शिक्षा अधिकारी नियुक्त हैं जो अपने-अपने जिले में शिक्षा के विकास तथा राज्य शिक्षा सम्बन्धी नीतियों को कार्यान्वित करते हैं।

## भाषाई अल्प संख्यकों की सुविधायें

1.8 हरियाणा राज्य में भाषाई अल्प संख्यकों को राज्य सरकार द्वारा अपनी भाषा को अतिरिक्त विषय के रुप में पढ़ने की सुविधा जारी रखी गई यदि किसी कक्षा में कम से कम 10 बच्चे या स्कूल में 40 से अधिक बच्चे अपनी भाषा पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उनके लिए उस भाषा को पढ़ने का प्रबन्ध किया जाता है।

## नये स्कूलों का खोलना तथा स्कूलों का बढ़ना

1.9 इस अवधि में एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय मैन्ना खेड़ा (सिरसा) में खोला गया। इस के अतिरिक्त 189 प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ा कर माध्यमिक तथा 156 माध्यमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ा कर उच्च किया गया

## छात्र कल्याण कार्यक्रम

1 10 गत वर्ष की भांति इस वर्ष में भी छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थीयों को नियंत्रित मूल्यों पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध करवाया गया। विद्यार्थियों को नियंत्रत मूल्यों पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध करने के लिए राज्य महाविद्यालय, विद्यालयों एवं विश्व विद्यालयों के सभी छात्रावासी को निकट के सहकारी उपभोक्ता स्टोरों से सम्बन्ध रखा गया ताकि उनको बिना कठिनाई सभी वस्तुएं उपलब्ध होती रहें।

## छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाना

वर्ष 1979-80 में अनुसूचित जातियों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने हेतु 7142 बुक बैंकों को सुदृढ़ करने के लिये 20.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इस के अतिरिक्त 3 लाख रुपये के मूल्य की लेखन सामग्री अनुसुचित जाति के लड़कों तथा सभी वर्गों की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली लड़कियों को निशुल्क वितरित की गई।

## हरिजन छात्राओं के लिए विशेष सुविधाएं

प्राथमिक स्कूलो में हरिजन छात्राओं के लिए निम्नलिखित विशेष सुविधाएं प्रदान की गई:—

(क) 26233 छात्राओं को 30/-रुपये प्रति छात्र की दर से मुफ्त वर्दियां देने के लिए 7.87 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

(ख) 12000 छात्राओं के लिए 50/-रुपये प्रति छात्रा की दर से उपस्थित छात्रवृति के लिए 6 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

## अध्याय दो

# शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन

2.1 वर्ष 1979-80 में कुछ समय के लिए स्वामि अग्निवेश शिक्षा मंत्री के पद पर रहे तथा इसके पश्चात मुख्य मंत्री श्री भजन लाल ने शिक्षा विभाग अपने अधीन ले लिया ।

"क" सचिवालय स्तर

रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा आयुक्त एवं सचिव के पद पर श्री जे0डी0 गुप्ता ने कार्य किया । संयुक्त सचिव के पद पर श्रीमती सुशीला डोगरा ने कार्य किया । उपरोक्त सभी अधिकारी आई0ए0एस केडर के हैं । अवर सचिव के पद पर श्री के0 जी0 वालिया एच0एस0एस0 ने कार्य किया ।

"ख" निदेशालय स्तर

रिर्पोटाधीन वर्ष में कुछ समय के लिए श्री ओ0 पी0 भारद्वाज आई0ए0एस0 ने निदेशक के पद पर कार्य किया । 5-7-79 को श्रीमती प्रमीला ईस्सर आई0ए0एस0 ने निदेशक का पद ग्रहण किया ।

पिछले वर्षों से शिक्षा में विशेष विकास हुआ जिसके कारण हर स्तर पर शिक्षा प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए निदेशालय के स्कूल तथा कालिज शिक्षा के कार्य को फेजड प्रोग्राम में अलग अलग करने का निर्णय लिया गया जिसके अनुसार अतिरिक्त निदेशक के पद को निदेशक (स्कूल) का पद बना दिया गया तथा इस पर कुछ समय के लिए श्री अनिल राजदान आई0ए0एस0 तथा 3-7-79 से श्री अर्जुनदास मलिक ने कार्य किया । इस प्रकार निदेशालय स्तर पर निम्नलिखित पदों पर अन्य नियुक्त अधिकारियों ने कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए निदेशक शिक्षा विभाग तथा निदेशक स्कूल शिक्षा को सहयोग दिया:--

1. निदेशक रिसोंस केन्द्र एच0ई0एस0
2. संयुक्त निदेशक महाविद्यालय —सम—
3. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा एच0सी0एस0
4. संयुक्त निदेशक प्रौढ़ शिक्षा एच0ई0एस0
5. उप निदेशक महाविद्यालय —सम—
6. 1. उप–निदेशक विद्यालय —सम—
7. 2. उप–निदेशक विद्यालय–II —सम—
8. उप–निदेशक विद्यालय–III —सम—
9. उप–निदेशक योजना —सम—
10. उप–निदेशक प्रौढ़ शिक्षा —सम—
11. अध्यक्ष अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा एच0ई0एस0
12. प्रशासन अधिकारी एच0सी0एस0
13. सहायक निदेशक महाविद्यालय एच0ई0एस0
14. सम— विद्यालय–I —सम—
15. सम— विद्यालय–II —सम—
16. सम— विद्यालय–III —सम—
17. सम— अध्यापक प्रशिक्षण —सम—
18. सम— परीक्षा —सम—
19. सम— एन.सी.सी. —सम—
20. सम— आँकड़ा —सम—
21. सहायक निदेशक प्रौढ़ शिक्षा–I
22. सम— प्रौढ़ शिक्षा–II
23. लेखा अधिकारी विद्यालय
24. लेखा अधिकारी कालेज
25. रजिस्ट्रार शिक्षा
26. बजट अधिकारी

**जिला प्रशासन**

2.2 राज्य के प्रत्येक जिले में स्कूल शिक्षा का विकास प्रशासन और नियन्त्रण का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारी पर है। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में शिक्षा के विकास तथा राज्य की शिक्षा नीतियों को कार्यरूप देते हैं। जिले में शिक्षा के विकास कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी उप मण्डलों में उप मण्डल शिक्षा अधिकारी हैं। उप मंडल शिक्षा अधिकारी अपने उप मंडल में शिक्षा के विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी है।

माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनकी रूचियों के अनुसार भविष्य में व्यवसाय आदि के चुनाव में सहायता देने के लिए जिला स्तर पर एक-एक सहायक मार्ग दर्शन परामर्शदाता की नियुक्ति की हुई है। यह अधिकारी विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों को भिन्न-भिन्न व्यवसायों के बारे में मार्ग दर्शन देने का कार्य करते हैं ताकि स्कूल शिक्षा समाप्त करने के पश्चात विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार व्यवसाय का चुनाव कर सकें। विद्यार्थियों को भिन्न-2 व्यवसायों से सम्बन्धित प्रशिक्षण की उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी ज्ञान दिया जाता है।

इसी तरह राज्य के प्रत्येक जिले में प्रौढ़ शिक्षा के विकास प्रशासन और नियन्त्रण के लिए जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी नियुक्त है।

31-3-80 की स्थिति अनुसार निदेशालय तथा जिला स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों का ब्यौरा परिशिष्ट "क" तथा "ख" में दिया गया है। श्रेणी प्रथम तथा द्वितीय के कुल पदों की सूचि परिशिष्ट "ग" में दी गई है।

**खण्ड स्तर पर**

2.3 राज्य में स्थित सभी 5218 प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण तथा प्रशासन सुविधा के लिए 117 शिक्षा खण्डों में बांटा गया हैं। खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने अपने खण्ड में स्थित प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा प्राथमिक विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी हैं।

**राजकीय विद्यालय**

2.4 सभी राजकीय उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासनिक प्रबन्ध मुख्य अध्यापकों तथा प्रधानाचार्य अपने-अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों को सुचारू रूप से शिक्षा देने तथा उनके शैक्षणिक मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारी तथा विभाग के प्रति उत्तरदायी है।

**अराजकीय विद्यालय**

2.5 अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्ध समितियों द्वारा चलाया जाता है। शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार ही इन विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है। यह विद्यालय शिक्षा विभाग के मान्यता प्राप्त करते हैं। शिक्षा विभाग इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए वार्षिक अनुदान देता है। इन विद्यालयों का निरीक्षण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी करते हैं।

**विश्वविद्यालय/महाविद्यालय**

2.6 राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य प्रत्यक्ष रूप में सुचारू प्रशासन तथा उच्च शिक्षा के विकास के लिए निदेशक शिक्षा के प्रति उत्तरदायी है। परन्तु गैर सरकारी महाविद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्ध समितियों ही चलाती हैं। राज्य में स्थित सभी महाविद्यालय सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की शिक्षा निति को अपनाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अतिरिक्त राज्य सरकार भी इनको वित्तीय सहायता साधारण तथा विकास अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष देती है।

# अध्याय तीन

## विद्यालय शिक्षा

3.1 राष्ट्र का विकास और इसकी समृद्धि शिक्षा के विकास पर ही निर्भर करती है। देश में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति लाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य में विद्यालय शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया।

3.2 इस समय हरियाणा में सभी राजकीय विद्यालयों में पहली से आठवीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। 6 से 11 वर्ष की आयु के अधिक से अधिक बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए प्रति वर्ष अप्रैल मास में छात्र संख्या अभियान चलाया जाता है। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1979-80 में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले 26233 हरिजन छात्राओं को 30/- रुपये प्रति छात्रा की दर से 7.87 लाख रुपये की राशि क मुफ्त वर्दियां प्रदान की गई तथा 12000 हरिजन छात्राओं को 50/- रुपये प्रति छात्रा की दर से 6 लाख रुपये की राशि उपस्थिति छात्रवृति के रूप में दी गई।

## शिक्षा सुविधाओं का विस्तार

3.3 रिपोर्टाधीन वर्ष में शिक्षा सुविधाओं में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। वर्ष 1979-80 में 189 प्राथमिक स्कूलों के स्तर को बढ़ाकर माध्यमिक तथा 156 माध्यमिक स्कूलों को बढ़ा कर उच्च किया गया जिन में से क्रमशः 7 तथा 11 स्कूल केवल कन्याओं के लिए हैं। इसके अतिरिक्त एक राजकीय प्राथमिक पाठशाला मेनाखेड़ा (सिरसा) में खोला गया।

1.9.79 को हरियाणा में गैर सरकारी तथा सरकारी विद्यालयों की संख्या

निम्नलिखित थी :—

| क्रम संख्या | सरकारी | गैर सरकारी | जोड़ |
|---|---|---|---|
| 1. पूर्व प्राथमिक | 7 | 19 | 26 |
| 2. प्राथमिक विद्यालय | 5130 | 88 | 5218 |
| 3. माध्यमिक विद्यालय | 803 | 26 | 829 |
| 4. उच्च/उच्तर माध्यमिक विद्यालय | 1104 | 235 | 1339 |

**प्राईवेट स्कूलों को मान्यता प्रदान करना**

3.4 निम्नलिखित स्कूलों को स्थाई मान्यता प्रदान की गई है।

1 सैनी हाई स्कूल, नारनौल
2 गुरुकुल कन्या उच्च विद्यालय, बुढ़िया (अम्बाला)
3 राम मन्दिर कन्या उच्च विद्यालय, (सोनीपत)
4 श्री गोस्वामी चन्द्रागिरी कन्या हाई स्कूल, भिवानी
5 ओम प्रकाश जैनसिनिर माडल स्कूल, कैथल
6 कन्या गुरुकुल उच्च विद्यालय, खरल (जीन्द)

इसके अतिरिक्त आर्य हाई स्कूल पटेल नगर हिसार को अस्थाई मान्यता प्रदान की गई।

**बालवाड़ियों की स्थापना**

3.5 समाज के पिछड़े एवं औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों के लिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों की देख रेख एवं उनके लिए शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए राज्य में रिपोर्टाधीन अवधि में 5 बालवाड़ियां कुरुक्षेत्र जिले में तथा 5 बालवाड़ियां सिरसा जिले में खोली गई। इस प्रकार से बालवाड़ियों की कुल

संख्या अब 20 हो गई है । बालवाड़ियों के अतिरिक्त राज्य के कुछ अराजकीय प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ नरसरी तथा प्री-प्राईमरी श्रेणियां भी संलग्न हैं । इन श्रेणियों में भी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

**छात्र संख्या**

3.6 वर्ष 1979-80 में स्कूलों में भिन्न-भिन्न स्तरों पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार रही है ।

| शिक्षा का स्तर | लड़के | लड़कियां | जोड़ |
|---|---|---|---|
| प्राथमिक स्तर | 784282 | 382333 | 1166615 |
| माध्यमिक स्तर | 319960 | 110378 | 430338 |
| उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर | 117420 | 35176 | 152596 |

**अध्यापक**

3.7 वर्ष 1979-80 में जिन स्कूलों का स्तर बढ़ाया गया उनके लिए निम्नलिखित अमला भी स्वीकृत किया गया :—

| | |
|---|---|
| मुख्याध्यापक | 156 |
| मास्टर/मिस्ट्रैस | 753 |
| पी०टी०आई० | 156 |
| सी० एन्ड बी० | 280 |
| जे०बी०टी० | 474 |
| लिपिक वर्ग | 156 |
| चतुर्थ श्रेणी | 511 |

माध्यमिक कक्षाओं में छात्र संख्या बढ़ने के कारण 150 मास्टर तथा 275 जे०बी०टी० अध्यापकों के पद भी दिए गये।

वर्ष 1979-80 में हरियाणा राज्य के भिन्न-भिन्न स्तरों पर शिक्षकों की संख्या इस प्रकार है :—

| शिक्षा का स्तर | पुरुष | महिलायें | जोड़ |
|---|---|---|---|
| प्री-प्राईमरी स्कूल | 9 | 44 | 53 |
| प्राथमिक स्कूल | 11,502 | 5,370 | 16,872 |
| माध्यमिक स्कूल | 6,625 | 2,919 | 9,544 |
| उच्च/उच्चतर स्कूल | 19,541 | 8,602 | 28,143 |
| जोड़ | 37,677 | 16,935 | 54,612 |

हरियाणा राज्य में अधिकतर अध्यापक प्रशिक्षित हैं। राज्य में केवल 698 अध्यापक ऐसे हैं जो प्रशिक्षित नहीं हैं। उपरोक्त अध्यापकों में से 49635 अध्यापक राजकीय विद्यालयों में और 4957 अध्यापक अराजकीय विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं।

**अध्यापक छात्र अनुपात**

3.1 रिपोर्टाधीन अवधि में स्कूल शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न वर्गों के स्कूलों में अध्यापक छात्र अनुपात इस प्रकार रहा :—

| स्कूल अनुसार | स्तर अनुसार |
|---|---|
| प्राथमिक स्कूल (1–5) 1:40 | प्राथमिक स्तर (1–5) 1:39 |
| माध्यमिक स्कूल (1–8) 1:32 | माध्यमिक स्तर (6–8) 1:32 |
| उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल (1–11) 1:27 | उच्च/उच्चतर (9–11) 1:14 माध्यमिक स्तर |

## दोहरी पारी प्रणाली

3.9 भिन्न-भिन्न विद्यालयों के भवनों में छात्रसख्या की वृद्धि के कारण बच्चों के बैठने के लिए स्थान और कमरों की कमी हो जाती है, उन विद्यालयों में दोहरी पारी प्रणाली अपनाने की स्वीकृति देने में जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं सक्षम है ।

## सह शिक्षा की नीति

3.10 ऐसे क्षेत्र तथा गांव जिनमें लड़कियों के लिए माध्यमिक तथा उच्च विद्यालय नहीं हैं वहां लड़कों के विद्यालयों में ही लड़कियों को प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध की गई है। 5218 प्राथमिक विद्यालयों में से 261 राजकीय और 10 अराजकीय प्राथमिक विद्यालय केवल कन्याओं के लिए हैं । शेष सभी विद्यालयों में सह शिक्षा है ।

## तेलगू भाषा की शिक्षा

3.11 हरियाणा में सातवीं कक्षा से तेलगू भाषा की शिक्षा तीसरी भाषा के रूप में दी जाती है। इस भाषा की शिक्षा की सुविधा राज्य के 52 विद्यालयों में उपलब्ध है। तेलगू भाषा पढ़ने वाले छात्रों को 10/- रुपये प्रति मास की दर से छात्रवृति दी जाती है। वर्ष 1979-80 में इस प्रयोजना के लिए 312 छात्रवृत्तियों के लिए 37,440/- रुपये की व्यवस्था की गई।

## भाषा नीति तथा भाषाई अल्प संख्यक

3.12 हरियाणा एक भाषाई राज्य है और इसकी भाषा हिन्दी है। यह भाषा पहली श्रेणी से ही सभी विद्यार्थी अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी हिन्दी शिक्षा का माध्यम है।

3.13 विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। यह छटी कक्षा से आरम्भ की जाती है, तीसरी भाषा में पंजाबी संस्कृत तथा ऊर्दू के अतिरिक्त तेलगू की शिक्षा की सुविधा भी 52 विद्यालयों में उपलब्ध है। सातवीं और आठवीं श्रेणियों में पंजाबी ऊर्दू संस्कृत तथा तेलगू भाषाओं में से विद्यार्थी किसी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषा के रुप में कर सकते है।

3.14 हरियाणा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उन्हें अपनी भाषा के अध्ययन करने की भी विशेष सुविधा उपलब्ध है। यदि किसी प्राथमीक या माध्यमिक विद्यालय की किसी कक्षा में 10 या कुल 40 से अधिक विद्यार्थी हों जो अल्प संख्या से सम्बन्ध रखते हों तो वह अपनी भाषा को राज्य भाषा के अतिरिक्त एक विशेष भाषा के रुप में पढ़ सकते हैं। ऐसे विद्यार्थीयों के लिए सरकार उनको इस विषय में शिक्षा देने के लिए सुविधा प्रदान करती है। 19 अराजकीय विद्यालयों को जिनमें हरियाणा बनने के समय शिक्षा का माध्यम पंजाबी था पंजाबी माध्यम को आगे भी जारी रखने के लिए विशेष अनुमति दे रखी है।

3.15 भाषा अल्प संख्यकों को विशेष सुविधा प्रदान करने तथा सरकार को इस सम्बन्ध में सलाह मशवरा देने हेतू एक उच्च स्तरीय अल्प भाषाई शिक्षा समिति का गठन भी किया हुआ है।

**शिक्षा पद्धित 10 जमा 2 जमा 3 को लागू करना**

3.16 शिक्षा का नया शैक्षणिक ढांचा अभी हरियाणा राज्य में लागू नहीं किया गया है। यह ढांचा अभी सरकार के विचाराधीन है। इस ढांचे को लाग करने के लिए माध्यमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की प्रयोगशालाओं को सुदृड़ करने हेतू वर्ष 1977-78 से 60.30 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति चली आ रही है। इस नई पद्विति के लिए व्यवसायिक सर्वेक्षण का कार्य अभी जिलों में समाप्त हो चुका है। इस की रिपोर्ट एस0सी0ई0आर0टी0 गुड़गांवा में तैयार की जा रही है।

**परीक्षा परीणाम**

3.17 आठवीं, दसवीं, तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना की हुई है। वर्ष 1979-80 में आठवीं कक्षा में 125013 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे जिनमें 51.97 प्रतिशत पास घोषित हुए तथा 19160 विद्यार्थी प्राईवेट आधार पर परीक्षा में बैठे जिनमें 38.83 प्रतिशत विद्यार्थी पास घोषित हुए।

दसवीं कक्षा की परीक्षा में 67351 विद्यार्थी नियमित तौर पर बैठे जिनमें

से 6034 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए तथा 18455 विद्यर्थी प्राईवट तौर पर परीक्षा में बैठे और 25.03 प्रतिशत विद्यार्थी उर्तीण घोषित हुए उच्चतर माध्यमिक कक्षा का परीणाम 41.16 पास प्रतिशत रहा ।

**अराजकीय विद्यालयों को सरकारी नियन्त्रण में**

3.18 निम्न स्कूलों को सरकार ने अपने अधीन ले लिया :—

1. गांधी मैमोरियल हाई स्कूल नारायण (करनाल),
2. ए0 एन0 हाई स्कूल गोहाना (सोनीपत)

**अराजकीय विद्यालयों को अनुदान**

3.19 पूर्व वर्षों की भांति वर्ष 1979-80 में भी अराजकीय विद्यालयों के निम्नलिखित अनुसार अनुदान दिया गया :—

| प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय | लाख रुपयों में |
|---|---|
| | 4.60 |
| उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय | 11.19 |
| स्थानीय विकास कैंट बोर्ड प्राईमरी | .20 |
| संस्कृत विद्यालत गुरुकुल | 1.59 |
| हरियाणा सकेत कौंसिल चण्डीमन्दिर | .68 |
| हरियाणा वैलफेयर सोसाईटी फार डैफ एण्ड डम्ब चण्डीगढ़ को गुड़गांव केन्द्र के लिए | .90 |
| गांधी इस्टीच्युट आफ स्टडीज वाराणसी | — |

उपरोक्त अनुदान के अतिरिक्त 10 राजकीय उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उपकरणों के खरीदने के लिए 500/- रुपये प्रति स्कूल की दर से 5000/-रुपये की राशि का उपकरण अनुदान भी दिया गया ।

अराजकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों को उनके घाटे का 20 प्रतिशत तथा अराजकीय उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को घाटे की 20 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में भी दी गई। इसके अतिरिक्त रिपोर्टाधीन अवधी में अराजकीय विद्यालयों को कोठारी ग्रांट-स्कीम के अन्तर्गत 59.25 रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

# अध्याय चौथा

# महाविद्यालय शिक्षा

**महाविद्यालयों की संख्या**

रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में महाविद्यालयों की संख्या 117 थी जिस में 19 शिक्षा महाविद्यालय और 98 महाविद्यालय सामान्य शिक्षा के थे। राज्य में प्रशासनिक प्रवन्ध अनुसार इन महाविद्यालयों की संख्या इस प्रकार है :—

| राज्य सरकार द्वारा | प्राईवेट बाडीज | विश्वविद्यालयों द्वारा | जोड़ |
|---|---|---|---|
| 16 | 98 | 3 | 117 |

**गैर सरकारी महाविद्यालयों को सरकारी नियंत्रण में लेना**

4.2 वर्ष 1979-80 में निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके सम्मुख लिखी तिथि से राज्य सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया गया

| | | |
|---|---|---|
| 1. | के० एन० कालेज नरवाना | 1-8-1979 |
| 2. | डी० एस० डी० कालेज गुड़गांव | 14-1-1980 |
| 3. | नैशनल कालेज टोहाना | 14-1-1980 |
| 4. | आदेश कालेज सफीदों | 14-1-1980 |
| 5. | जन्ता कालेज बावल | 14-1,1980 |
| 6. | एम० जी० कालेज दुवलधन | 14-1-1980 |
| 7. | जी० बी० महाविद्यालय नहर गोहे | 14-1-1980 |
| 8. | बी० एम० कालेज होडल | 20-2-1980 |
| 9. | नेहरू मैमोरियल कालेज हांसी | 15-2-1980 |
| 10. | मेवात कालेज नगीना | 15-2-1980 |

**राजकीय महाविद्यालय में नये विषयों/कक्षाओं को चालू करना :—**

4.3 वर्ष 1979-80 में राजकीय महाविद्यालय सिरसा में निम्नलिगित विषय कक्षायें चालू की गई।

1. मनो विज्ञान ग्रैप–I
2. मैडिकल ग्रप तथा बी० एस० सी०–II
3. भूगोल ग्रैप बी० ए०–I तथा बी० ए०–II
4. इतिहास ग्रैप बी० ए०–I तथा बी० ए०–II
5. संस्कृत इलैक्टीव बी० ए० I, II, III

**अराजकीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान**

राज्य के अराजकीय महाविद्यालयों को वर्ष 1979-80 में भिन्न 2 योजनाओं के अर्न्तगत निम्नलिखित अनुदान दिये गये :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | यू० जी० सी० योजना (1-11-66) | 15.91 लाख रुपये |
| 2. | यू० जी० सी० योजना (1-11-73) | 43.25 लाख रुपये |
| 3. | अनुरक्षण अनुदान | 60.97 लाख रुपये |
| 4. | विकास अनुादन | 45.15 लाख रुपये |
| 5. | स्पेशल अनुरक्षण अनुदान | 1.29 लाख रुपये |
| 6. | तदर्थ अनुदान | 15.94 लाख रुपये |
| 7. | डी० पी० अतिरिक्त अनुदान | .09—सम— |
| 8. | फुटकर अनुदान | .30—सम— |
| 9. | मैचिंग ग्रान्ट | .57—सम— |

4.6 विश्व विद्यालयों को दिन प्रति दिन के खर्चे हेतू तथा विकास कार्यों के लिए वर्ष 1979-80 में 420.24 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप के स्वीकृत की गई जिसका व्यौरा इस प्रकार से है :—

| | | |
|---|---|---|
| क. | कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरूक्षेत्र | 135.24 लाख रुपये |
| ख. | महार्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक | 285.00 लाख रुपये |
| | जोड़ | 420.24 लाख रुपये |

**राजकीय महाविद्यालयों के लिए भवनों/छात्रावासों का निमार्ण**

4.7 रिपोर्टाधीन अवधि में राजकीय महाविद्यालय हिसार के गलर्ज होस्टल के लिए 12.05 लाख रुपये की व्यवस्था को गई तथा इसी महाविद्यालय के लिए साईकिल शैड के निर्माण के लिए 1.30 लाख रुपये की व्यवस्था की गई ।

**छात्र संख्या**

4.8 रिपोर्टाधीन वर्ष में राज्य में 82415 छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । संख्यानुसार छात्रों की संख्या इस प्रकार है :—

| संस्था का स्तर | छात्र संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | लड़के | लड़कियां | जोड़ |
| 1. राजकीय महाविद्यालय | 15628 | 4049 | 19677 |
| 2. अराजकीय महाविद्यालय | 38124 | 20574 | 58698 |
| 3. विश्वविद्यालय | 2,991 | 10,49 | 4040 |
| जोड़ | 56,743 | 25,672 | 82,415 |

# अध्याय पांचवां

# शिक्षक प्रशिक्षण

5.1 शिक्षा का स्तर अध्यापकों के व्यवसायिक प्रशिक्षण पर निर्भर है। शिक्षा के क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन कई प्रकार के नये अनुसंधान हो रहे हैं तथा अध्यापकों का इस अनुसंधान तथा प्रयोगों से भलि भांति परिचित होना आवश्यक है। इस लिए शिक्षकों को व्यवसायिक दक्षता प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

1. सेवा काल से पूर्व प्रशिक्षण
2. सेवा कालीन प्रशिक्षण

## 5.2 सेवा काल से पूर्व प्रशिक्षण

वर्ष 1979–80 में भिन्न-2 वर्गों के अध्यापकों के लिए राज्य में निम्नलिखित पाठ्य क्रम की सुविधाएं उपलब्ध थी।

## 5.3 एम0 एड0 कक्षाएं

राज्य में एम0 एड0 की कक्षाएं केवल सोहन लाल शिक्षण महाविद्यालय अम्बाला तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध रहीं। दोनों संस्थाओं में वर्ष 1979–80 में 37 लड़के तथा 37 लड़कियों ने प्रवेश प्राप्त किया।

## 5.4 बी0 एड0 कक्षाएं

वर्ष 1979–80 में बी0 एड0 प्रशिक्षण अध्यापकों की कक्षाएं राज्य में 19 शिक्षा महाविद्यालयों में चालू रही। राव मोहर सिंह शिक्षण महाविद्यालय बहुररामपुर वर्ष 1979–80 में स्वयं ही बन्द रहा। इन सभी महाविद्यालयों में 1224 लड़कों एवं 2243 लड़कियों ने बी0 एड0 की कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त किया।

5.5 ओ0 टी0 प्रशिक्षण कक्षायें

रिपोर्टाधीन अवधि में निम्नलिखित संस्थाओं में हिन्दी संस्कृत तथा पंजाबी की ओ0 टी0 कक्षायें खोलने की अनुमति दी गई ।

1. राजकीय शिक्षण महाविद्यालय भिवानी हिन्दी तथा संस्कृत ओ0 टी0 की 60–60 सीटें ।

2. राजकीय जे0 बी0 टी0 स्कूल नारायणगढ़ ओ0 टी0 पंजाबी की 40 सीटें ।

5.6 जे0 बी0 टी0/नर्सरी टीचर्स् ट्रेनिंग

रिपोर्टाधीन वर्ष में इन दोनों कोर्सों के लिए प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई ।

5.7 सेवा कालीन प्रशिक्षण

गत वर्षों की भांति वर्ष 1979-80 में भी प्राथमिक तथा स्नातक अध्यापकों के लिए निम्नलिखित सेवा कालीन प्रशिक्षण आयोजित किये गये।

| प्रशिक्षण का विवरण | प्रशिक्षण अवधि (दिनों में) | जितने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। |
|---|---|---|
| 1. शिक्षा अधिकारी | 5 | 50 |
| 2. मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिकाएं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्राधानाचार्य | 5 | 1000. |
| 3. खण्ड शिक्षा अधिकारी | 5 | 117 |
| 4. माध्यमिक अध्यापक | 20 | 1200 |
| 5. प्राथमिक अध्यापक | 16 | 4100 |

# अध्याय–6

# प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा

6.1 हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम 2 अक्तूबर 1978 से बड़े पैमाने पर आरम्भ किया गया। इस से पहले भी प्रौढ़ शिक्षा एवं समाज शिक्षा का कार्यक्रम राज्य के कुछ जिलों में चलाया जाता रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1978–79 में कुल 3300 केन्द्र जिन में 2200 केन्द्रीय संचालित कार्यक्रम के अन्तंगत तथा 1100 राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों की अन्तंगत खोले जाने की व्यवस्था की गई थी परन्तु इनमें से क्रमश: 2005 तथा 851 केन्द्र ही खोले गये। रिपोर्टाधीन वर्ष में 200 अतिरिक्त केन्द्र केन्द्रीय संचालित प्रोग्राम के अन्तंगत खोलने की स्वीकृति दी गई। इस प्रकार इस वर्ष स्वीकृत केन्द्रों की संख्या 3500 हो गई। इनमें से 31 मार्च 1980 को 3302 केन्द्रों में प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा था। इन 3302 केन्द्रों में 2259 केन्द्रीय संचालित योजना के अन्तंगत तथा 1043 राज्य सरकार के विभिन्न स्कीमों के अन्तंगत खोले गये थे। इन 3302 केन्द्रों में से पुरुष तथा महिला केन्द्रों की संख्या इस प्रकार रही।

केन्द्रों की संख्या

| पुरुष | महिला | कुल |
|---|---|---|
| 1418 | 1884 | 3302 |

**6.2 साक्षरता प्राप्त करने वाले प्रौढ़ों की संख्या**

रिपोर्टाधीन वर्ष में 72693 प्रौढ़ों ने केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा भिन्न–2 परियोजनाओं के अन्तंगत चलाये जाने वाले प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में साक्षरता का लाभ प्राप्त किया। साक्षरता का लाभ प्राप्त करने वाले पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या तथा महिलाओं का प्रतिशत अनुपात निम्न प्रकार से

है :—

| क्र0 | परियोजना | प्रौढ़ की संख्या | | | महिलाओं की प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रौढ़ों की संख्या | | कुल | संख्या |
| | | पुरुष | महिला | | |
| 1. | केन्द्रीय संचालित योजना | 25385 | 25485 | 50870 | 50 प्रतिशत |
| 2. | राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनायें। | 7494 | 14329 | 21823 | 65.6 प्रतिशत |
| | | 32879 | 39814 | 72693 | 54.8 प्रतिशत |

उक्त दर्शाई गई 72693 प्रौढ़ों में अनुसूचित जाति से सम्बन्धित साक्षरता प्राप्त पुरुष तथा महिलाओं की संख्या इन केन्द्रों में निम्नलिखित रही :—

| क्र0 | स्कीम का नाम | लाभार्थियों की संख्या | | | महिलाओं की प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरुष | महिला | कुल | संख्या |
| 1 | केन्द्रीय संचालित योजना | 6038 | 5840 | 11878 | 49.2 प्रतिशत |
| 2. | राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं | 1704 | 2901 | 4605 | 63.0 प्रतिशत |
| | | 7742 | 8741 | 16483 | 53 प्रतिशत |

इस प्रकार रिपोर्टाधीन अवधि में साक्षरता का लाभ प्राप्त करने वाले कुल प्रौढ़ स्त्रियों तथा पुरुषों में अनुसूचित जाति से सम्बन्धित प्रौढ़ों की संख्या 22.66 प्रतिशत रही।

## 6.3 जिला प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड

जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड बनाये गये हैं। इस के अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को और सुदृढ़ बनाने तथा कार्यक्रम में और विकास करने के लिए ज़िला स्तर पर ज़िला संसाधन केन्द्रों का गठन भी किया गया है।

## 6.4 स्वैच्छिक संस्थाएं

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में स्वैच्छिक संस्थाओं का भी अपना स्थान है। सरकारी कार्यक्रम के अतिरिक्त दो स्वैच्छिक संस्थायें करनाल और गुड़गांव में दो नेहरू युवक केन्द्र तथा 9 महाविद्यालयों के द्वारा भी यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन्हें भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान दिया गया।

## 6.5 संसाधन केन्द्र की स्थापना

प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित साहित्यिक सामग्री तैयार करने/उपलब्ध करने के लिए जून 1979 में राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना की गई। इस केन्द्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित अमला सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | निदेशक स्टेट रिर्सोस सैंटर | 1 |
| 2. | अनुसंधान अधिकारी | 4 |
| 3. | तकनीकी सहायक | 1 |
| 4. | आर्टिस्ट | 1 |
| 5. | उप-अधीक्षक | 1 |
| 6. | सहायक | 3 |
| 7. | स्टैनोग्राफर | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 8. | स्टैनोटाईपिस्ट | 2 |
| 9. | लिपिक | 2 |
| 10. | मुख्य सहायक | 4 |

संसाधन केन्द्र के कार्य को चलाने के लिए निदेशक तथा एक तकनीकी सहायक का पद भरा है। वर्ष 1979-80 के इस केन्द्र के भिन्न-2 कार्यक्रमों के लिए सरकार द्वारा 363800/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई परन्तु सभी पदों के समय पर न भरने के कारण रिपोर्टाधीन अवधि में केवल 14893/- रुपये की राशि ही खर्च हुई।

6 6 संसाधन केन्द्र की स्थापना करते समय निम्नलिखित कार्य सौंपे गये :—

1. प्रौढ़ शिक्षा/अनौपचारिक शिक्षा में सम्बन्धित गांव/खण्ड/ज़िला तथा राज्य स्तर पर फक्शनरीज़ को प्रशिक्षण देना ।

2. 9–17 आयु वर्ग के लिए प्रौढ़ शिक्षा/अनौपचारिक शिक्षा के लिए शैक्षणिक सामग्री तथा साहित्य तैयार करना ।

3. प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा 9–17 आयु वर्ग के कार्यक्रमों का मूल्यांकन तथा मोनोटरिंग करना।

4. प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार/मास मिडिया।

6.7 रिपोर्टाधीन अवधि में निम्नलिखित प्रशिक्षण कोर्स प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा में संबन्धित फन्क्शनरीज़ के लिए आयोजित किये गये :—

1. प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों/प्रौजैक्ट अधिकारियों तथा सहायक प्रौजैक्ट अधिकारियों को 22.10.79 से 28.10.79 तक की अवधि के लिए एक प्रशिक्षण कोर्स भारतीय प्रौढ़ शिक्षा एसोशियेशन के सहयोग से आयोजित किया गया।

2. अक्तूबर 1979 में प्रौढ़ शिक्षा के निरीक्षण अधिकारियों तथा अनुदेशकों के लिए क्रमश: 15/7 दिन का प्रशिक्षण प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस प्रकार 7 दिन का प्रशिक्षण कोर्स अनुदेशकों के लिए मार्च, 1980 में भी आयोजित किया गया। इन आयोजित प्रशिक्षण कोर्सों में 3270 अनुदेशकों तथा 107 प्रौढ़ शिक्षा के निरीक्षण अधिकारियों ने भाग लिया।

3. निरीक्षण कर्मचारियों और अनुदेशकों के लिए दो ग्रुपों में डैरी फार्मिंग पर दो प्रशिक्षण कोर्स राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान करनाल की सहायता से आयोजित किए गए।

6.8 साहित्य तैयार करना

1. रिपोर्टाधीन अवधि में "कहो कुछ बात" नामक (एन० सी० ई० आर० टी०) द्वारा तैयार की गई पुस्तिका हरियाणा राज्य में अपनाई गई और इस का मुद्रण करवाया गया। इसी प्रकार प्राईमरी तथा वर्क बुक की 2–2 लाख प्रतियां भी छपवाई गई। इस के अतिरिक्त अध्यापकों के मार्गदर्शन के लिए अध्यापक निर्देशिका की 10 हजार प्रतियां भी छपवाई जा रही हैं।

(2) शहरी जनसख्या के लिए साहित्य

हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग के लिए पुस्तकों का एक सैट एन० सी० ई० आर० टी० नई दिल्ली की सहायता से तैयार किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए फरीदाबाद, अम्बाला, भिवानी में दो-दो दिनों की तीन वर्कशापें पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं।

(3) अनौपचारिक शिक्षा में प्रशिक्षणार्थियों के लिए साहित्य 19–17

अनौपचारिक शिक्षा 19–17 के अनुदेशकों के लिए एन० सी० ई० आर० टी० नई दिल्ली की सहायता से पुस्तकों का सैट तैयार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में रोहतक में दो दिनों का सैमीनार आयोजित किया गया।

6.9 मुल्यांकन तथा मोनीटरिंग

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में 10 मास की शिक्षा के अन्त में प्रोढ़ों की प्रगति के

मूल्यांकन हेतु संसाधन केन्द्र द्वारा कई प्रकार के साक्षरता मूल्यांकन टैस्ट तैयार किए गए । इस के अतिरिक्त कई प्रकार के मोनीटरिंग से सम्बन्धित प्रपत्र भी तैयार किए गए। इस कार्य के लिए सलाहकार शिक्षा एव संस्कृति मन्त्रालय (प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय) नई दिल्ली, भारत सरकार (प्रौढ़ शिक्षा) ने राज्य संसाधन केन्द्र निदेशक की सराहना भी की है ।

**6.10 अनौपचारिक शिक्षा**

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 3345 प्राथमिक और 120 माध्यमिक स्तर के केन्द्र स्वीकृत हैं, जिनमें चालू वर्ष में 2916 प्राथमिक और 78 माध्यमिक स्तर के चल रहे थे जिनमें लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है :—

| | | | | अनुसूचित जाति | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | लड़के | लड़कियां | कुल | लड़के | लड़कियां | कुल |
| प्राथमिक कक्षा | 30727 | 39439 | 70166 | 9574 | 9410 | 18984 |
| माध्यमिक | 975 | 305 | 1280 | 227 | 32 | 259 |

# अध्याय सातवां

## महिला शिक्षा

7.1 हरियाणा में स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की हुई है। वह सुविधायें रिपोर्टाधीन अवधि में और भी अधिक दी गई।

(क) पहली से आठवीं कक्षा तक सभी राजकीय विद्यालयों में लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में लड़कियों से लड़कों की अपेक्षा टयूशन फीस कम ली जाती है। अराजकीय विद्यालयों में भी छठी से ग्यारवीं कक्षा तक पढ़ने वाली कक्षाओं की फीस की दर लड़कों की अपेक्षा कम रखी गई है।

(ख) हरिजन कन्याओं की नौवी दसवीं तथा ग्याहरवीं कक्षाओं में क्रमशः 20, 25 और 30 रु0 की दर से योग्यता छात्रवृतियां देने की व्यवस्था है। यह छात्रवृत्तियां आठवीं कक्षा के वार्षिक परिक्षा परिणाम के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली कन्याओं को दी जाती है और स्कीम के अधीन 150 हरिजन कन्याएं लाभान्वित होती हैं।

(ग) वर्ष 1979-80 में प्राथमिक स्कूलों में हरिजन छात्राओं को 30/- रुपए प्रति छात्रा की दर से रु. 87 लाख रुपए की राशि की मुफ्त वर्दियां प्रदान की गई तथा 12000/- हरिजन छात्राओं को 50/- रुपए प्रति छात्रा की दर से उपस्थिति छात्रवृत्ति के लिए 6 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई।

(घ) विधवाओं/पतियों से अलग रहने वाली/विवाह विच्छेद स्त्रियों के लिए जे0बी0टी0/एल0टी0सी0/नर्सरी प्रशिक्षण कक्षाओं में कुछ स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। ऐसी महिलाओं को अधिकतम आयु में साधारण ढील दे दी जाती है। यह स्त्रियां 31 वर्ष की आयु तक प्रवेश प्राप्त कर सकती है जबकि पुरुषों की अधिकतम आयु केवल 26 वर्ष है। उन मिल्ट्री पुरुषों की पत्नियों या

उनके आश्रितों को जो अयोग्य हो गए हों या लड़ते-2 मारे गए हों; प्रवेश के लिए अधिकतम आयु की सीमा 41 वर्ष है ।

(ङ) यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक स्कूल में एक महिला अध्यापिका नियुक्त की जाए ताकि अधिक से अधिक छात्रायें स्कूलों की ओर आकर्षित हों । यदि प्रशिक्षित अध्यापिका उपलब्ध न हो तो अप्रशिक्षित अध्यापिका नियुक्त की जाए तथा वेतन योग्यता के आधार पर निर्धारित किया जाए । इस तहर की अध्यापिकायें अस्थाई होंगी ।

7.2 कन्या शिक्षा संस्थाओं की संख्या 31–3–80 के अनुसार

| संस्था का प्रकार | राजकीय | अराजकीय | जोड़ |
|---|---|---|---|
| प्राथमिक विद्यालय | 261 | 10 | 271 |
| माध्यमिक विद्यालय | 71 | 7 | 78 |
| उज्च विद्यालय | 149 | 83 | 232 |
| उच्चतर माध्यमिक | 20 | 2 | 22 |
| महाविद्यालय | 1 | 25 | 26 |

पिछले कुछ वर्षों से कन्याओं के स्कूलों की संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई हैं। इस का कारण यह है कि जिन स्थानों पर कन्याओं के लिए अलग स्कूल नहीं हैं वहां पर वे लड़कों के स्कूलों में ही शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। परन्तु कन्याओं के लिए अलग प्राथमिक स्कूल निम्नलिखित शर्तों पर ही खोले जा सकते हैं :—

1. यदि स्थानीय ग्रामीण जनता की मांग हो ।
2. यदि स्थानीय जनता स्कूल के भवन के लिए प्रबन्ध कर दें ।
3. यदि 30 या 40 कन्याएं विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए उपलब्ध हों ।
4. यदि एक मील के क्षेत्र में कन्याओं के लिए कोई और विद्यालय न हो ।

जिला शिक्षा अधिकारी, कन्याओं के लिए अलग प्राथमिक ब्रांच विद्यालय भी खोल सकते हैं यदि उस गांव में लड़कियों की संख्या प्रयाप्त हो और अतिरिक्त स्टाफ देने की आवश्यकता न हो।

छात्रवृतियां 7.3

राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की छात्रवृतियां केवल लड़कियों को इस लिए स्वीकृत की जाती हैं ताकि गरीब घरानों की कन्याएं भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग की लड़कियों में शिक्षा प्रोत्साहन के लिए महाविद्यालय स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 6000/- रुपये से कम हो।

वर्ष 1979-80 में कन्याओं को भी दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का विवरण इस प्रकार है :—

| | छात्रवृत्ति का नाम<br>स्कूल स्तर | छात्रवृत्तियों की संख्या<br>केवल लड़कियों के लिए | मासिक दर |
|---|---|---|---|
| 1 | माध्यमिक स्तरीय योग्यता छात्रवृत्ति | 628 | 10/- रुपये |
| 2 | उच्च विद्यालय स्तर की योग्यता छात्रवृत्ति | 836 | 15/- रुपये |
| | राज्य योग्यता छात्रवृति | | |
| | उच्च/उच्चतर माध्यमिक | 47 | 22/- रुपये |
| | प्रैप | 126, | 45/- रुपये |
| | हायर सैकण्डरी पार्ट–II | 22 | 45/- रुपये |
| | स्कूल स्तर | | |
| | हरिजन छात्रों के लिए योग्यता छात्रवृतियां | | |
| | नौंवीं | 50 | 20/- रुपये |
| | दसवीं | 50 | 25/ रुपये |
| | ग्याहरवीं | 50 | 30/ रुपये |

**7.4 विभिन्न स्तरों पर पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या**

राज्य में विभिन्न स्तरों पर पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या निम्न प्रकार थी :—

| शिक्षा का स्तर | छात्राएँ |
|---|---|
| प्राथमिक स्तर | 382333 |
| माध्यमिक स्तर | 110378 |
| उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर | 35176 |
| महाविद्यालय/विश्वविद्यालय | 25672 |
| जोड़ | 5,53,559 |

# अध्याय आठवां

## "शिक्षा सुधार कार्यक्रम"

8.1 शिक्षा में गुणात्मक सुधारों के लिए तथा शिक्षा के स्तर को सम्मुन्नत करने के लिए विभाग द्वारा रिपोर्टाधीन अवधि में कई कार्यक्रम चलाये गये हैं। अध्यापक को नवीनतम शिक्षण पद्धतियों तथा विधियों के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षा देने हेतु राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं राज्य विज्ञान संस्थान द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन दिया जाता रहा है। वर्ष 1979-80 में 4100 प्राथमिक अध्यापकों को सेवा कालीन प्रशिक्षणदिया गया। 1200 स्नातक अध्यापकों, 117 खण्ड शिक्षा अधिकारियों, 1000 हाई/हायर सैकेन्डरी स्कूलों के मुखियों तथा 50 शिक्षा अधिकारियों को भी सेवा कालीन प्रशिक्षण देने के लिए 3.14 लाख रु. की व्यवस्था की गई।

राज्य शिक्षा संस्थान के प्रकाशन विभाग द्वारा 'प्राथमिक अध्यापक' नाम मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका के माध्यम से प्राथमिक अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक विकास के लिए पत्राचार कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया गया है। वह पत्रिका राज्य के लगभग 30 हजार प्राथमिक अध्यापकों को निःशुल्क उपलब्ध की जाती है। प्राथमिक अध्यापक प्रति मास संगम की बैठकों में इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री पर विचार-विमर्श करते हैं, जिस से बच्चों को रोचक तथा सुगम ढंग से शिक्षा देने का ज्ञान प्राप्त होता है।

### शाला संगम

8.2 स्थापित किये गये शाला संगम केन्द्रों में आयोजित मासिक बैठकों में प्राथमिक अध्यापकों की व्यवसायिक कुशलता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम अपनाये जाते हैं। इन मासिक बैठकों में अध्यापक कक्षा सम्बन्धी अध्यापक समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श करते हैं। इन बैठकों मेंखण्ड शिक्षा अधिकारी,

उप मण्डल शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी समय-समय पर भाग लेते हैं। चालू वर्ष में शाला संगम कार्यक्रम के लिए 2.93 लाख रु० की राशि की वयवस्था की गई।

**कक्षा शिक्षा नीति तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार**

8.3 सामान्यतया ऐसा होता है कि एक ही कक्षा में कुछ विद्यार्थी पढ़ाई में तीव्र होते है तथा कुछ मन्द होते हैं। अतः विभाग ने यह अनुमति दी है कि यदि कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक हो तो कक्षा के अलग-अलग सैक्शन बना लें तथा इन सैक्शनों को इस तरह बनायें कि तीव्र बुद्धि के बच्चें एक सैक्शन में आ जायें तथा मन्द बुद्धि के बच्चे दूसरे सैक्शन में आ जायें और जिस शिक्षक के पास मन्द बुद्धि वाले बच्चे हो उनके परिणाम को देखते समय इसबात का ध्यान रखा जाये कि वह कमजोर सैक्शन पढ़ा रहा था।

पहली व चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह परीक्षा नीति अपनाई है कि पहली तथा दूसरी कक्षा में कोई बच्चा फेल न किया जाये तथा तीसरी तथा चौथी की कक्षाओं में परीक्षा के परिणाम अनुसार कार्यवाही की जाये।

**कार्य अनुभव**

8.4 कार्य अनुभव शिक्षा का महत्वपूर्ण तथा अभिन्न अंग है। यह विषय राज्य के सभी राजकीय स्कूलों में पढ़ाया जाता है। स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा वह विषय अनिवार्य घोषित किया जा चुका है तथा नये शैक्षिक ढांचे 10 जमा 2 जमा 3 के अन्तर्गत भी कार्यनुभव एक अनिवार्य विषय है। इस प्रयोजन के लिए राज्य के सभी माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों के लिए वर्ष 1979-80 में 7,97,460 रुपये की राशि की व्यवस्थ्या करवाई गई थी परन्तु वर्ष 1979-80 में 10 जमा 2 जमा 3 पद्धति लागू न होने के कारण यह राशि प्रयोग में नहीं लाई जा सकी। अध्यापकों को कार्यानुभाव में प्रशिक्षण देने के लिए राज्य में तीन कार्यनुभव केन्द्र नारनौल नीलोखेड़ी तथा गुड़गांव में कार्यरत हैं।

**शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक सुविधाओं का उपलब्ध करना**

रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक तथा भौतिक सुविधाओं

को उपलब्ध करने के लिए विशेष पग उठाये गये ।

हरियाणा राज्य में अधिकतर स्कूलों के भवनों की स्थिति अच्छी नहीं है । अतः शिक्षा विभाग ने स्कूल भवनों के लिए एक विशाल कार्यक्रम आरम्भ किया है । इस के लिए बजट में 45 लाख रु0 की व्यवस्था की गई है तथा इतनी ही राशि मैचिंग ग्रान्ट के रूप में स्कूल भवन फण्ड में से दी जायेगी जो विभाग के पास प्रयोग रहित है । रिपोर्टधीन अवधि में इस में से 20 लाख रु0 लोक निर्माण विभाग को छोटे निर्माण कार्यों के लिए दिये गये ।

शिक्षा विभाग द्वारा बनाये गये भवन नये विधि नियम (बिल्डिंग फन्डरूल्ज) राजकीय स्कूलों मे भवन फन्ड के अन्तर्गत एकत्रित की गई राशि का 80 प्रतिशत विभाग के मुद्रा कोष में (मनी पूल) में जमा करवाना पड़ता है । इस विधि में 61.06 लाख रु0 31-3-80 तक एकत्रित हो चुके हैं । इनमें से 7 लाख रुपये कार्यकारी निधि के रूप में लोक निर्माण विभाग के (बी एन्ड आर) सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता को दिये जा चुके हैं यह राशि स्कूल भवनों के नवीन करण तथा मुरम्मत के 394 अनुमानों के लिए 1.68 करोड़ रु0 की स्वीकृत राशि का भाग है ।

रिपोर्टाधीन अवधि में विभाग ने स्कूलों के नव निर्माण के अन्तर्गत राजकीय कन्या उच्च विद्यालय पेहवा, रा0उ0वि0 होडल, तथा रा0प्रा0पा0 यमुनानगर तथा जगाधरी के भवनों के निर्माण के लिए प्रशासकीय अनुमोदन दिया गया। इसके अतिरिक्त रा0उ0मा0वि0 हांसी के भवन की मुरम्मत तथा नवीनकरण का भी प्रशासकीय अनुमोदन दिया गया । विभाग द्वारा 49.75 लाख रुपये के व्यय पर विभिन्न प्राथमिक स्कूलों के लिए 130 कक्ष तथा 28.80 लाख रु0 के व्यय पर रा0उ0/उच्चतर मा0वि0 के लिए 60 कक्ष बनाने के लिए प्रशासकीय अनुमोदन दिया गया। विभाग ने शहरी क्षेत्र के स्कूलों के लिए किराये पर लिये सभी भवनों को अपने अधीन लेने की योजना बनाई है। भिवानी में सभी (12) किराये पर लिये गये भवन सरकार ने अपने अधीन ले लिए हैं। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि जिन स्कूलों के भवन पूरी तरह तैयार हैं उन्हें देख भाल के लिए लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया जाये । लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित

स्पसीफिकेशन (Speciifcation) के अनुरुप लाने के लिए स्कूल भवनों के मुरम्मत के लिए वर्ष 1979-80 में भारी राशि स्वीकृत की गई। लोक निमार्ण विभाग धारा निर्धारित स्पेसीफिकेशन में ढ़ील देकर 983 स्कूलों के भवन लोक निर्माण विभाग को सौंपने का निर्णय सरकार द्वारा किया गया गया है। इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा रहीं है और स्टैम्प ड्यूटी में छूट मिल जाने पर यह भवन लोक निर्माण विभाग को सौंप दिए जायेंगे।

---

# अध्याय–9

## "छात्रवृत्तियां तथा अन्य वित्तीय सहायता"

9.1 सुपात्र एवं योग्य विद्यार्थियों को शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तर पर शिक्षा प्राप्ति के लिये राज्य तथा भारत सरकार की भिन्न-भिन्न स्कीमों के अन्तर्गत अनेक प्रकार की छात्रावृत्तियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरक्त अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को समाज कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा शिक्षा विभाग को जुटाई गई राशि में से वजीफे एवं वित्तीय सहायता हर वर्ष दी जाती है।

**9.2 भारत सरकार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना**

(क) महाविद्यालयों में पढ़ने वाले योग्य छात्रों को उत्साहित करने के लिय इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 में 1469 छात्रों को छात्रावृत्तियां प्रदान की गईं। इन छात्रवृत्तियां पर 11.10 लाख रुपये की राशि वितरित की गई।

(ख) हरियाणा राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापको के बच्चों को भारत सरकार तथा हरियाणा राज्य की ओर से कुल 10 छात्रवृत्तियां वर्ष 1979-80 में मैट्रिक, उच्चतर माध्यमिक तथा प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षा के आधार पर प्रदान की गइं। इसके अतिरिक्त पिछले वर्षों की 40 छात्रवृत्तियों का नवीनकरण भी किया गया। यह छात्रवृत्तियां केवल उन्हीं अध्यापकों के बच्चों को दी जाती हैं, जिनकी वार्षिक आय/मूल वेतन 6000/- रुपये तक होता है। वर्ष 1979-80 में इस प्रकार की छात्रवृत्तियों पर कुल 48165/- रुपये का खर्चा हुआ।

**9.3 राज्य योग्यता छात्रवृत्ति योजना**

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 में 626 हरियाणवी योग्य छात्रों को मैट्रिक से बी0 ए0 की परीक्षाओं के आधार पर मैट्रिक उपरांत उच्च शिक्षा की

संस्थाओं में पढ़ने के लिए योग्यता छात्रवृत्तियां दी गई। इस रिपोर्टाधीन अवधि में योग्यता छात्रवृत्तियों के रूप में 322609/- रु० की राशि छात्रों को वितरित की।

(ii) अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को मैट्रिक उपरान्त शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत सी सुविधायें दी जाती हैं, जिसके अन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, शिक्षा शुल्क तथा अन्य खर्चों के लिये राशिर वीकृत की जाती है। इन स्कीमों के अन्तर्गत रिपोर्टाधीन अवधि में लगभग 50 लाख रुपये की राशि वितरित की गई। पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति की दरों में भी बढौतरी की गई और अब विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को 30/- रुपये मासिक दर से लेकर 70/– रुपये मासिक दर पर भिन्न-भिन्न कोर्सों के लिये छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है।

**9.4 सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले हरियाणवीं छात्रों को छात्रावृत्तियां**

देश के विभिन्न सैनिक स्कूलों तथा पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा में शिक्षा ग्रहण करने के लिये वर्ष 1979-80 में 699 हरियाणवी छात्रों को छात्रवृति राशि एवं कपड़ा भत्ता के रूप में 20,88,719 रुपये की राशि प्रदान की गई।

**9.5 राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना**

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार हरियाणा के गरीब माता-पिता के योग्य बच्चों को जो कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, उनकों ऋण के तौर पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्ति ऋण के रूप में दी जाती है। वर्ष 1979-80 में 300 छात्रों को 2.16 लाख रुपये की राशि वितरित की गई तथा 3.65 लाख रुपये की राशि पढ़ाई समाप्त करने वाले छात्रों से वसूल की गई जो पिछले वर्षों में छात्रों को ऋण छात्रवृत्ति के रूप में दी गई थी।

**9.6 स्कूलों में छात्रों के लिये योग्यता छात्रावृत्ति योजना**

(क) राज्य सरकार की ओर से पांचवी कक्षा स्तरीय योग्यता छात्रवृत्तिपरीक्षा के आधार पर माध्यमिक कक्षाओं में (छठी से आठवीं कक्षा तक) 10/- रु० मासिक दर से वर्ष 1979-80 में 2314 छात्रवृतियां देने के लिये 3.16 लाख रुपये की राशि खर्च करने की व्यवस्था की गई थी।

(ख) माध्यमिक परीक्षा पर आधारित योग्यता छात्रवृत्ति 15/- रुपये मासिक प्रति छात्रवृत्ति की दर से वर्ष 1979-80 में 3.63 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। इस स्कीम के अन्तर्गत 668 छात्रवृत्तियां उपलब्ध की गई।

### 9.7 तेलगु भाषा प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्तियां

सातवीं कक्षा से उच्च विद्यालय स्तर की शिक्षा पूर्ण होने तक तेलगु भाषा की पढ़ाई हेतु वर्ष 1979-80 में 312 छात्रवृत्तियां 10/- रुपये प्रति मास की दर से देने के लिये 37440/- रुपये की व्यवस्था की गई थी।

### 9.8 हरिजन कल्याण योजना अधीन अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को सुविधाएं

(क) अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों/छात्राओं को सभी प्रकार की शैक्षणिक व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिये विशेष सुविधायें तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसे छात्र बिना भेद भाव के राज्य के सभी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पा सकते हैं। निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। इस योजना के अधीन नौंवी, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को 16/- रु० मासिक दर से स्टाईपैण्ड प्रदान किये जाते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 में 47.54 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।

(ख) महाविद्यालय स्तर पर पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को विभिन्न कक्षाओं और कोर्सों में पढ़ने हेतु 30/- रुपये मासिक दर से 70/- रुपये मासिक दर पर वजीफे/छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। वर्ष 1979-80 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले पिछड़े वर्ग के लगभग 3400 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्तियां दी गईं। 2578 छात्रों को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिये सरकार द्वारा 14.80 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। इसके अतिरिक्त निःशुल्क शिक्षा की सुविधा भी पिछड़े वर्ग के छात्रों को दी जाती है।

### 9.9 भारत सरकार के मैट्रिक उपरान्त अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की

छात्रवृत्ति योजना

इस स्कीम के अन्तर्गत मैट्रिक उपरान्त शिक्षा संस्थाओं में भिन्न-भिन्न कोर्सों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के छात्र/छात्राओं को 40/- रुपये से लेकर 200/- रुपये मासिक दर से छात्रवृत्तियों दी जाती हैं। वर्ष 1979-80 में इस स्कीम के अन्तर्गत 39.11 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। यह छात्रवृत्तियां तथा इस प्रकार की अन्य वित्तीय सहायता विद्यार्थियों को उनके माता-पिता/सरंक्षकों की वार्षिक आय के आधार पर दी जाती है, जिसकी अधिकतम कुल वार्षिक सीमा 9000/- रुपये है। अनिवार्य रूप से दी जाने वाली निः शुल्क शिक्षा के लिये संस्था शुल्क की प्रतिपूर्ति और छात्रों को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।

9.10 विमुक्त जाति छात्रवृत्ति योजना

स्कूल तथा महाविद्यालय स्तर पर विमुक्त जाति के बच्चों को वजीफे एवं छात्रवृत्तियों के लिये 1979-80 में राज्य सरकार द्वारा 43,300/- रुपये की राशि खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। बाद में इस स्वीकृत राशि में 6 प्रतिशत की कटौती सरकार द्वारा लगा दी गई थी।

9.11 हरिजन छात्राओं के लिये योग्यता छात्रवृत्ति

इन छात्रवृत्तियों की दर नौवीं कक्षा में 20/- दसवीं में 25/- रुपये तथा 11 वीं कक्षा में पढ़ने वाली हरिजन छात्राओं के लिये 30/- रुपये प्रति मास है। रिपोर्टाधीन अवधि में इन छात्रावृत्तियों के लिये 45,000/- रुपये तक की राशि खर्च करने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी परन्तु बाद में इस राशि पर भी 6 प्रतिशत कटौती लगा दी गई थी।

9.12 न्यून आय वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां

इस स्कीम के अन्तर्गत मैट्रिक उपरान्त शिक्षा के लिये 1800/- रु0 या इससे कम आय वर्ग के माता-पिता के बच्चों को छात्रवृत्तियां 27/- रुपये से लेकर 65/- रुपये मासिक दर से दी जाती हैं। इस के अतिरिक्त शिक्षा शुल्क, अन्य अनिवार्य फण्ड तथा परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति भी की जाती है। वर्ष 1979-80 में इस स्कीम

के अन्तर्गत 1,25,000/- की धन राशि की व्यवस्था की गई थी और 178 छात्रों को लाभ हुआ।

## 9.13 ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिये माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

ग्रामीर्ण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिये माध्यमिक स्तर भारत पर सरकार तथा राज्य की ओर से 6 छात्रवृत्तियां प्रति विकास खण्ड में दी जाती हैं। चुने हुए स्कूल के छात्रावास में रहने वाले छात्रों को 1000/- रुपये प्रति वर्ष और अन्य स्कूलों के छात्रों को 500/- रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अतिरिक्त छात्र अपनी इच्छा के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं और फीस देते हैं, उन्हें 250/- रुपये प्रति वर्ष और जहां फीसें नहीं ली जाती वहां 150/- रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 1979-80 में इस परियोजना के लिये 2.73 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई।

# अध्याय दसवां

## विविध

**खेल कूद**

10 1 खेल कूद के विषय को राज्य की शिक्षा संस्था की शिक्षा पद्धति में उचित स्थान प्राप्त है । खेलों पर व्यय प्रायः शिक्षा संस्थाओं की मिश्रित निधि, सरकार से अनुदान तथा खेल विभाग से अनुदान के रूप में प्राप्त राशि से होता है। वर्ष 1979-80 में 12000/- रूपये का अनुदान सरकार से तथा 1000 रूपये की राशि स्पोर्टस विभाग से प्राप्त हुई। अंतरराजीय शरद् ऋतु प्रतियोगिता में जिस का आयोजन दिल्ली में हुआ हमारे राज्य के छात्र/छात्राओं ने निम्न पदक जीते :

| पदक | संख्या |
|---|---|
| स्वर्ण पदक | 3 |
| रजत पदक | 7 |
| कांस्य पदक | 4 |

अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष को सम्मुख रखते हुए रिपोर्टाधीन अवधि में मिनी नैशनल गेम्ज़ का केवल प्राथमिक स्तर तथा माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिये आयोजन जालन्धर में किया गया । उसमें हमारे राज्य के स्कूलों के खिलाड़ियों ने 21 अंक प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया ।

**10.2 एन0एस0एस0**

विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर छात्रों के व्यक्तिगत और उसके बौद्धिक विकास के लिये भारत सरकार की सहायता से हरियाणा राज्य में एन0एस0 एस0 प्रोग्राम चालू है । वर्ष 1979-80 में इस प्रोग्राम के अधीन स्वय सेवकों की संख्या 12000 थी और कालिजों में स्वीकृत एन0एस0एस0 यूनिटों की संख्या 120 थी । वर्ष 1979-80 में इस प्रोग्राम के लिये विभाग के बजट में 14,40,000

रूपये की व्यवस्था थी। इस प्रोग्राम पर भारत सरकार तथा राज्य सरकार क्रमशः 7 : 5 के अनुपात में खर्च करती है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये एन0एस0एस0 के स्वयं सेवक विशेष सहायोग देते हैं। ग्रामीण जनता उत्थान हेतु यूथ फार रूरल रिकंस्ट्रक्शन अभियान के अधीन हरियाणा राज्य में वर्ष 1979-80 में 110 शिविर लगाये गये। इन शिविरों में से 41 शिविर रोहतक विश्वविद्यालय द्वारा, 67 शिविर कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा तथा 2 शिविर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हिसार लगाये गये। इन शिविरों में से कुछ शिविर मलिन बस्तियों (Slum Area) में लगाये गये। लगभग 6000 छात्रों ने इन शिविरों में भाग लिया। इन शिविरों में मुख्यतः निम्नलिखित कार्यक्रमों पर कार्य किया गया।

1. Slum clearance.
2. Eradication of illiteracy.
3. Socio-Medical Work.
4. Adult Education.
5. Improvement of Sanitation
6. Plantation of Tree.
7. Popularization & Construction of Gobar gas plant.
8. Eradication of dowry and other Social evils.

## 10.3 एन0सी0सी0

भारत सरकार के रक्षा मन्त्रालय द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार एन0सी0सी0 स्कीम के अर्न्तगत सेना की तीनो शाखाओं जल, स्थल तथा वायु सेनाओं का प्रशिक्षण राज्य में एन0सी0सी0 के कैडिट्स को दिया जाता है। महाविद्यालयों के छात्रों के लिये सीनियर डिवीजन तथा विद्यालयों के छात्रों के लिये जूनियर डिवीजन स्थापित किये हुए हैं। छात्र अपनी स्वेच्छा से एन0सी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यह अनिवार्य नहीं है। इस परियोजना को चलाने का खर्च भारत

सरकार तथा राज्य सरकार मिल कर करती हैं। वर्ष 1979-80 में एन0सी0सी0 स्कीम को चलाने हेतू 52,20,260/- रुपये की बजट की व्यवस्था की गई। रिपोर्टाधीन अवधि में सीनियर/जूनियर डिविज़न की बटालियन की संख्या और कुल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कैडिट्स की संख्या निम्नलिखित रही :

| सिनियर डिविज़न | बटालियन की संख्या | कैडिटस स्वीकृत संख्या |
|---|---|---|
| इनफैन्टरी बटालियन (लड़कों के लिये) | 12 | 9600 |
| इनफैन्टरी बटालियन (लड़कियों के लिये) | 2 | 1600 |
| वाय स्कवैड्रन | 2 | 400 |
| जल विंग यूनिट | 1 | 200 |
| ग्रुप हैडक्वार्टरर्ज | 2 | — |

| जूनियर डिविज़न | बटालियन की संख्या | कैडिट्स की संख्या |
|---|---|---|
| आर्मी विंग ट्रूप (लड़कों के लिये) | 138 | 13350 |
| आर्मी विंग ट्रूप (लड़कियों के लिये) | 10 | 1000 |
| वायु विंग | 14 | 1350 |
| जल विंग | 5 | 450 |
| | 167 | 16150 |

### 10.4 रैंड क्रास

रैंड क्रास संस्था समाज में रोगियों अंगहीनों पागलों और निर्धनों की सहायता में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। संस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को छात्रों को प्रिय बनाने के लिये राज्य में जिला स्तर पर जूनियर रैंडक्रास संस्थायें जिला शिक्षा अधिकारियों की अध्यक्षता में स्थापित की गईं। शिक्षा संस्थाओं के रैंड क्रास फण्ड में से आवश्यकता ग्रस्त बच्चों को पुस्तकें, वर्दिया, चिकित्सा के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में एकत्रित रैंडक्रास फण्ड की राशि में से कुछ प्रतिशत भाग चण्डीगढ़ के समीप साकेत में अंगहीन बच्चों तथा व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु हर वर्ष दिया जाता है।

इस संस्था द्वारा वर्ष 1979 में 87 रक्तदान शिविर हरियाणा राज्य में आयोजित किये गये 12,105 व्यक्तियों ने रक्त दान दिया। संस्था आर्थिक दशा में कमजोर स्त्रियों तथा बच्चों के लिये 21 क्राफ्ट केन्द्र चलाती है। ये केन्द्र रोहतक हिसार, सिरसा, भिवानी और अम्बाला ज़िले में स्थापित हैं। गरीब बच्चों की वर्दी, ट्यूशन फीस, किताबों आदि पर जूनियर रैंडक्रास निधि से 99.17 लाख खर्च किये गये। रिपोर्टाधीन अवधि में बच्चों के लिये शिविर धर्मशाला, कुरूक्षेत्र, ताराादेवी, सोनीपत, रोहतक, हिसार, अम्बाला तथा गुड़गांव में आयोजित किये गये। इस संस्था द्वारा 35,994 पुरुष तथा 7458 स्त्रियों को फस्ट-एड तथा होम नर्सिंग का प्रशिक्षण दिया गया।

वर्ष 1979-80 में जे0आर0सी0 ग्रुप में सदस्य संख्या 19,51,920 थी, जिनमें 14,66,592 लड़के तथा 4,85,328 लड़कियां थीं।

### 10.5 भारत स्काउटस एवं गाईडज

राज्य की शिक्षा संस्थाओं में भारत स्काऊटस एवं गाईडज आंदोलन छात्रों में भ्रातृ प्रेम, नेतृत्व की भावना तथा जनजाति की सेवा करने के भाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। यह आन्दोलन हरियाणा भारत स्काउटस तथा गाईडज एसोसिशन के संरक्षण में चल रहा है। वर्ष 1979-80 में राज्य सरकार द्वारा संस्था को 1,23 लाख रुपये नान-प्लान पक्ष से तथा 1.10 लाख रुपये प्लान पक्ष से अनुदान के रूप में दिये गये।

हरियाणा भारत एण्ड स्काउट गाईडज एसोसियेशन द्वारा लगाये गये शिविर तथा इनमें भाग लेने वालों की संख्या :–

| शिविर | | शिविरों की संख्या | भाग लेने वालों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रोफिशिएंसी बैंज प्रशिक्षण शिविर | 5 | 458 |
| 2 | प्रथम श्रेणी स्काउटस प्रशिक्षण शिविर | 3 | 333 |
| 3 | सर्विस शिविर | 3 | 740 |
| 4 | राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियों का शिविर | 8 | 532 |
| 5 | अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियों का शिविर | 1 | 10 |
| 6 | प्रधान मन्त्री शील्ड कन्पीटीशन शिविर | 1 | 3200 |
| 7 | प्रोफिशिएंसी बैज प्रशिक्षण शिविर (कन्या) | 5 | 338 |
| 8 | फर्स्ट क्लास गाईडज शिविर (कन्या) | 1 | 74 |
| 9 | समाज सेवा शिविर | 1 | 136 |
| 10 | राष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियों का शिविर | 12 | 604 |
| 11 | कब्ज रैली | 1 | 125 |
| 12 | गर्ल्ज़ गाईड रैली | 1 | 200 |

## 10.6 स्कूल केयर फीडिंग प्रोग्राम

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम हरियाणा में केयर की सहायता से 83 शिक्षा खण्डों में चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राईमरी स्कूलो के छात्र/छात्राओं को मध्यान्ह भोजन देने की व्यवस्था है। यह खाद्य सामग्री केयर की सहायता से मुफ्त प्राप्त होती है। प्रत्येक बच्चे को 80 ग्राम दलिया तथा 7 ग्राम सलाद आयल दिया जाता है। वर्ष 1979-80 के अन्त में 4.23 लाख बच्चों को मध्यान्ह भोजन का लाभ प्राप्त हुआ।

शिक्षा विभाग ने इस कार्यक्रम पर 33.49 लाख रुपये की राशि खर्च की जिसमें से 6.25 लाख की राशि केयर संगठन के प्रशासनिक व्यय के रूप में तथा शेष राशि अन्य खर्चों तथा परिवहन व्यय के रूप में खर्च की गई।

घरौंडा में स्थापित केन्द्रीय किचन द्वारा एक लाख बच्चों के लिए प्रतिदिन पंजीरी तैयार करके स्कूलों में बांटने के लिये भेजी गई। इस किचन के खर्च के लिये सरकार द्वारा 8.72 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई।

## 10.7 पुस्तकालयों का विकास

वर्ष 1979-80 में जिला पुस्तकालय सोनीपत में खोला गया है। इस वर्ष इस पुस्तकालय को 12,500/- रुपये की पुस्तकें तथा 13,000 रुपये का फर्नीचर उपलब्ध किया गया। अब हरियाणा राज्य में जिला पुस्तकालयों की संख्या 7 से 8 हो गई है।

## 10.8 राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान

वर्ष 1979-80 में राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान निधि में लगभग 6.22 लाख रुपये की राशि एकत्रित की गई तथा विपदाग्रस्त अध्यापकों तथा उनके आश्रितों को इस फण्ड में से 2.9 लाख रुपये सहायता के रूप में वितरित किये गये। सहायता के रूप में वितरित की जाने वाली राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. 78 अध्यापक/अध्यापिकाओं के आश्रितों को 1,000/- रुपये प्रति अध्यापक/अध्यापिका की दर से 78,000/- रुपये अध्यापकों के अंतिम संस्कार तथा क्रियाक्रम के लिये तदर्थ आधार पर तत्काल सहायता के रूप में दिये गये।

2. 95 स्वर्गवासी अध्यापकों/अध्यपिकाओं के आश्रितों को 75/- रुपये से 100 रुपये प्रति मास की दर से 1,02,500/- रुपये तक की सहायता एक वर्ष के लिये दी गई।

3. 16 स्वर्गवासी सेवा निवृत अध्यापकों/अध्यापिकाओं की लड़कियों की शादी पर 1,500/- रुपये प्रति लड़की की शादी पर 24,000/- रुपये की सहायता दी गई।

4. 3 स्वर्गवासी अध्यापकों की विधवाओं को 1456 रुपये की सिलाई मशीनें खरीद कर दी गईं।

5. 2 अध्यापकों को उनकी लम्बी बीमारी पर 1,000/- रुपये सहायता के रूप में दिये गये।

6. 2 अध्यापकों को बी0ए0 करने के पश्चात बी0एड कोर्स के लिये 2000/- रुपये ऋण के रूप में दिये गये।

उपरोक्त के अतिरिक्त 11 अध्यापकों के 32 बच्चों को मैट्रिक उपरान्त पढ़ाई करने के लिए मैरिट के आधार पर 31900/- रुपये की छात्रवृत्तियां एक वर्ष के लिये दी गई।

### 10.9 पाठ्य पुस्तकों तथा अभ्यास पुस्तिकाओं का उचित मूल्यों पर उपलब्ध करना

पिछले वर्षों की भांति इस रिपोर्टाधीन वर्ष में भी शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें तथा अभ्यास पुस्तिकाओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध करने के लिये विशेष पग उठाये गये। वर्ष 1979-80 में अनुसूचित जातियों तथा वंचित वर्ग के छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करने हेतु 20.50 लाख रुपये की राशि की पुस्तकें स्कूलों में स्थापित 7142 पुस्तक बैंकस में उपलब्ध की गई। इसके अतिरिक्त 3 लाख रुपये के मूल्य की लेखन सामग्री अनुसूचित जाति के लड़कों तथा सभी वर्गों की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली लड़कियों को निःशुल्क वितरित की गई।

# परिशिष्ठ "क"

31-3-80 को निदेशालय स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी।

| क्रमांक | पद का नाम | वर्ग | अधिकारी का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | निदेशक शिक्षा | प्रथम | श्रीमती प्रोमिला ईशर आई०ए०एस० |
| 2 | निदेशक विद्यालय | प्रथम | श्री अर्जुन दास मलिक आई०ए०एस० |
| 3 | निदेशक रिर्सोस केन्द्र | प्रथम | श्रीमति स्वर्ण आतिश |
| 4 | संयुक्त निदेशक महाविद्यालय | प्रथम | श्री हर कृष्ण सिंह |
| 5 | संयुक्त निदेशक विद्यालय | प्रथम | श्री के० पी० अवरोल |
| 6 | संयुक्त निदेशक प्रौढ़ शिक्षा | प्रथम | श्री धर्म सिंह ढिल्लों |
| 7 | उप निदेशक-I (विद्यालय) | प्रथम | कुमारी शान्ता राजदान |
| 8 | उप निदेशक-II (सम) | प्रथम | श्री जे० के० सूद |
| 9 | उप निदेशक-III (सम) | प्रथम | श्री एम०पी० जैन |
| 10 | उप निदेशक महाविद्यालय | प्रथम | श्री बी०एल० गोस्वामी |
| 11 | उप निदेशक योजना | प्रथम | श्रीमती राजदुलारी |
| 12 | उप निदेशक प्रौढ़ शिक्षा | प्रथम | श्री आर० एस० दत्त |
| 13 | अनौपचारिक शिक्षा अध्यक्ष | प्रथम | श्री देवराज सिंह गिल |
| 14 | सहायक निदेशक-I (विद्यालय) | द्वितीय | श्री शर्वण कुमार |
| 15 | सहायक निदेशक-III (विद्यालय) | द्वितीय | श्रीमती माधुरी जैन |

| कमांक | पद का नाम | वर्ग | अधिकारी का नाम |
|---|---|---|---|
| 16 | सहायक निदेशक-II सम | द्वितीय | श्रीमती कमला छिकारा |
| 17 | सहायक निदेशक अध्यापक प्रशिक्षण | द्वितीय | श्री एस०एस० कौशल |
| 18 | सहायक निदेशक परीक्षा | द्वितीय | श्री मनमोहन सिंह चौधरी |
| 19 | सहायक निदेशक कैडिट कोर | द्वितीय | श्री बी० आर० बजाज |
| 20 | सहायक निदेशक महाविद्यालय | द्वितीय | श्री नरेन्द्र कुमार |
| 21 | सहायक निदेशक आंकड़ा | द्वितीय | श्रीमती पुष्पा अवरोल |
| 22 | सहायक निदेशक प्रौढ़ शिक्षा | द्वितीय | श्री जे० के० टण्डन |
| 23 | सहायक निदेशक प्रौढ़ शिक्षा | द्वितीय | श्री धर्मपाल गुप्ता |
| 24 | प्रशासन अधिकारी | द्वितीय | श्री नन्द किशोर भारद्वाज |
| 25 | अनुसंधान अधिकारी | द्वितीय | रिक्त |
| 26 | अनुसंधान अधिकारी | द्वितीय | रिक्त |
| 27 | अनुसंधान अधिकारी | द्वितीय | रिक्त |
| 28 | अनुसंधान अधिकारी | द्वितीय | रिक्त |
| 29 | लेखा अधिकारी कालेज | द्वितीय | श्री डब्ल्यू० सी० मलिक |
| 30 | लेखा अधिकारी विद्यालय | द्वितीय | श्री आर० डी० बेदी |
| 31 | बजट अधिकारी | द्वितीय | श्री एम० एन० मैदान |
| 32 | रजिस्ट्रार शिक्षा | द्वितीय | श्री एस० एस० शान |

———

# परिशिष्ट "ख"

31-3-80 को जिला स्तर पर अधिकारी।

| क्रमांक | जिला | जिला शिक्षा अधिकारी का नाम | उप मण्डल शिक्षा अ० का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | अम्बाला | कु० कृष्णा अरोड़ा | श्री आर०सी० वशिष्ट अम्वाला<br>श्री वी०आर० गोयल, जगाधरी<br>श्री पी०सी० चौधरी, नारायणगढ़ |
| 2 | भिवानी | श्री आर०पी० गिरधर | श्री के०एल० धवन, भिवानी<br>श्री अमीर सिंह, चरखी दादरी<br>श्री आर०डी० शर्मा, लोहारू |
| 3 | गुड़गावां | कु० कृष्णा चोपड़ा | श्री गनपत सिंह, गुड़गावां<br>श्री जे०सी० तनेजा, नूह<br>श्री हरबंश सिंह, फिरोजपुर झिरक |
| 4 | हिसार | रिक्त (श्री जे०पी०शर्मा करंट चार्ज) | श्री ओ०पी० जैन, हिसार<br>रिक्त (श्री परस राम करंट चार्ज) हांसी<br>श्री कदम सिंह, फतेहाबाद |
| 5 | जीन्द | श्री वी०एस० पासी | श्री धन सिंह, जींद<br>श्री साधु राम जैन (करंट चार्ज), नरवाना |
| 6 | करनाल | श्री होशियार सिंह मलिक | श्री अविनाश चन्द्र, करनाल<br>श्री वी०पी० गौतम, पानीपत |

| क्रमांक | जिला | जिला शिक्षा अधिकारी का नाम | उप मंडल शिक्षा अधिकारी का नाम |
|---|---|---|---|
| 7 | कुरुक्षेत्र | श्री ज्ञान स्वरूप शर्मा | श्री वासदेव छाबड़ा, थानेसर<br>श्री पी० चढ्ढा, कैंथल |
| 8 | महेन्द्रगढ़ | श्री पी० पी० गोसाई | श्री एस०एस० राघव, नारनौल<br>रिक्त (श्री शार्दा राम करंट चार्ज) रिवाड़ी |
| 9 | रोहतक | श्री बाबु राम गुप्ता | श्री हृदय राम मलिक, रोहतक<br>श्री लाल चन्द, झज्जर<br>श्री सूरज लाल, बहादुरगढ़ |
| 10 | सिरसा | श्री ओ०पी० बत्रा | श्री एन०आर० मित्तल, सिरसा<br>श्री एन०आर० वैद्य, डबवाली |
| 11 | सोनीपत | श्री प्रेम प्रकाश | श्री ए०डी० तालिब, सोनीपत<br>श्री आत्मा राम शर्मा (करंट चार्ज) गोहाना |
| 12 | फरीदाबाद | श्री प्रेम प्रकाश | श्री बलराज शर्मा, पलवल<br>श्री इन्द्र सिंह घई, बल्लबगढ़ |

# परिष्शिठ "ग"

31-3-80 को श्रेणी I तथा II के कुल पद कालेज और स्कूलों के अलग-अलग

| क्रमांक | पद का नाम | वर्ग | कुल संख्या | पुरुष | स्त्री |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्राचार्य रा० महाविद्यालय | प्रथम | 26 | 21 | 5 |
| 2 | प्रोफैसर रा० महाविद्यालय | प्रथम | 2 | 1 | 1 |
| 3 | निदेशक शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान गुड़गांव | प्रथम | 1 | 1 | – |
| 4 | इन्चार्ज विज्ञान यूनिट | प्रथम | 1 | 1 | – |
| 5 | इन्चार्ज सेवा कालीन अनुभाग | प्रथम | 1 | – | 1 |
| 6 | इन्चार्ज टैक्नालोजी सैल | प्रथम | 1 | – | 1 |
| 7 | प्राचार्य रा०उ०मा०वि० | द्वितीय | 77 | 55 | 22 |
| 8 | प्राचार्य जे०बी०टी० स्कूल | द्वितीय | 4 | 2 | 2 |
| 9 | वरिष्ठ विशेषज्ञ | द्वितीय | 3 | 2 | 1 |
| 10 | विज्ञान परामर्शी | द्वितीय | 1 | 1 | – |
| 11 | मूल्यांकन अधिकारी | द्वितीय | 2 | 1 | 1 |
| 12 | परामर्शदाता | द्वितीय | 1 | 1 | – |

| क्रमांक | पद का नाम | वर्ग | कुल संख्या | पुरुष | स्त्री |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | प्राध्यापक | द्वितीय | 715 | 212 | 927 |
| 14 | उप मन्डल शिक्षा अधिकारी/ उप जिला शिक्षा अधिकारी | द्वितीय | 41 | 28 | 13 |
| 15 | जिला शिक्षा अधिकारी | प्रथम | 12 | 10 | 2 |
| 16 | तकनीकी प्राध्यापक | द्वितीय | 7 | 7 | – |
| 17 | राज्य पुस्तकाध्यक्ष | सम | 1 | 1 | – |
| 18 | जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी | प्रथम | 11 | 6 रिक्त | 5 |
| 19 | परियोजना अधिकारी | द्वितीय | 11 | 6 | 5 |
| 20 | इंचार्ज टैक्नालोजी सैल | प्रथम | 1 | रिक्त | रिक्त |
| 21 | इंचार्ज सेवा कालीन अनुभाग | प्रथम | 1 | – | 1 |

11086—D.P.I.—H.G.P., Chd.